रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062025-263532
CG-DL-E-02062025-263532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2391] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947
No. 2391] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2025

का.आ. 2450(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) संबंधी दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1. भारत सरकार ने अधिसूचना का.आ. 1363(अ) दिनांक 15 मार्च 2024 के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (जिसे "एसपीएमईपीसीआई" या "स्कीम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया है, ताकि वैश्विक इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माताओं से निवेश आकर्षित किया जा सके, रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें, "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और भारत को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के लिए विनिर्माण मंजिल के रूप में बढ़ावा दिया जा सके।

1.2. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने भी स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप आयात शुल्क में कटौती के लिए 15 मार्च 2024 को अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमा शुल्क और 20/2024-सीमा शुल्क जारी की।

1.3. स्कीम के पैराग्राफ 12.4 के अनुसरण में तथा स्कीम के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए, स्कीम में निर्दिष्ट प्रावधानों के पूरक के रूप में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि ये दिशा-निर्देश स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप हों। हालाँकि, किसी भी असंगति की स्थिति में, स्कीम अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे।

2. परिभाषा

यह भाग स्कीम के दिशानिर्देशों में पहले से परिभाषित शब्दों के अतिरिक्त, उनमें प्रयुक्त शब्दों को भी परिभाषित करता है:

2.1. **आवेदन पत्र:** यह भारी उद्योग मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ आवेदक द्वारा दायर किया जाने वाला फॉर्म है। आवेदन पत्र का प्रारूप संदर्भ उद्देश्य के लिए अनुबंध-I में प्रदान किया गया है। सभी अनुलग्नकों के साथ आवेदन की एक हार्ड कॉपी भी भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। ऑनलाइन जमा की गई जानकारी और हार्ड कॉपी के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, स्कीम के तहत पात्रता का मूल्यांकन करते समय ऑनलाइन जमा की गई जानकारी प्रबल होगी।

2.2. **चार्टर्ड इंजीनियर:** इंजीनियर्स संस्थान (भारत) की कॉर्पोरेट सदस्यता वाले इंजीनियर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) द्वारा जारी चार्टर्ड इंजीनियर (भारत) प्रमाण पत्र और परियोजना प्रबंधन एजेंसी के साथ सूचीबद्ध हैं।

2.3. **प्रतिबद्ध निवेश:** आवेदन जमा करते समय स्कीम के तहत आवेदक द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश। प्रतिबद्ध निवेश न्यूनतम रुपए 4,150 करोड़ होना चाहिए।

बशर्ते कि आवेदक पर न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश से परे निवेश करने से कोई रोक नहीं है। हालांकि, पूर्वगामी होने वाला कुल शुल्क रुपए 6,484 करोड़ से कम या इस स्कीम के तहत किए गए निवेश तक सीमित होगा।

2.4. **परिचालन शुरू होने की तिथि:** परिचालन शुरू होने की तारीख की गणना स्कीम के तहत किए गए निवेश से निर्मित पात्र उत्पाद के पहले वाणिज्यिक बिक्री चालान की तारीख से की जाएगी।

2.5. **पूर्वगामी शुल्क:** यह स्कीम के कार्यकाल के दौरान किए गए ई-चौपहिया के आयात के कारण अनुमोदित आवेदक को वित्तीय लाभ है:

(क) सीमा शुल्क की राशि (मूल सीमा शुल्क सहित, एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी), सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) या किसी अन्य सीमा शुल्क सहित, यदि लागू हो) जैसा कि समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत इलेक्ट्रिक यात्री कारों के सीबीयू के आयात पर लागू होता है और समय-समय पर संशोधित वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 और;

(ख) उपर्युक्त पैरा 2.5.(क) के अनुसार सीमा शुल्क की राशि अधिसूचना संख्या 19/2024- सीमा शुल्क और अधिसूचना संख्या 20/2024- सीमा शुल्क दिनांक 15 मार्च 2024 के प्रभावी होने के बाद कम हो जाएगी।

पूर्वगामी शुल्क की गणना के लिए उदाहरणात्मक उदाहरण पैरा 2.8 में दिए गए हैं।

2.6. **इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार/वाहन (ई-चौपहिया):** केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के खंड 2(ठ) और 2(प) के तहत परिभाषित श्रेणी एम-1 बैटरी संचालित वाहन (बीओवी) को संदर्भित करेगा।

2.7. **आयात के लिए ई-चौपहिया की अनुमति:** वैश्विक समूह कंपनियों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक यात्री कारों का मतलब है जिन्हें अनुमोदित आवेदक द्वारा आयात किया जाना प्रस्तावित है और प्रासंगिक वैधानिक नियमों के अनुसार भारत में बिक्री के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.8. **आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या:** इस स्कीम के तहत आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन की अधिकतम संख्या ऐसी होगी कि पूर्वगामी कुल शुल्क निम्नलिखित में से कम तक सीमित होगा:

क. प्रति आवेदक अधिकतम पूर्वगामी शुल्क (6,484 करोड़ रुपए तक सीमित), या

ख. आवेदक का प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपए में)

आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या आयात किए जाने वाले ई-चौपहिया के सीआईएफ मूल्य, यूएसडी की विनिमय दर, आवेदक का प्रतिबद्ध निवेश और लागू सीमा शुल्क आदि के अनुसार भिन्न होगी।

निम्नलिखित उदाहरण हैं:

उदाहरण 1:

(क) प्रतिबद्ध निवेश: 4,150 करोड़ रुपए

(ख) ई-चौपहिया का सीआईएफ मूल्य: 35,000 डॉलर

(ग) विनिमय दर (1 यूएसडी): 85 रुपए

(घ) प्रति इलेक्ट्रिक यात्री कार पूर्वगामी शुल्क:

तालिका 1: आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया का शुल्क त्याग और अधिकतम संख्या

विवरण	संदर्भ	दृश्य-1 (एस1)	दृश्य-2 (एस2)
		स्कीम का लाभ लिए बिना लागू शुल्क	स्कीम का लाभ लेने के बाद लागू शुल्क
मूल्यांकन योग्य मूल्य (सीआईएफ मूल्य) (रुपए में)	ए	29,75,000	29,75,000
मूल सीमा शुल्क	बी = ए x 70% (एस1 के लिए), बी = ए x 15% (एस2 के लिए)	20,82,500	4,46,250
एसडब्ल्यूएस*	सी	0	0
आईजीएसटी @ 5%	डी = (ए+बी+सी) x 5%	2,52,875	1,71,063
भूमि लागत	**ई = योग(ए:डी)**	**53,10,375**	**35,92,313**
स्कीम के अंतर्गत आयातित प्रति ई-चौपहिया पर छोड़ा गया शुल्क (रुपए में)	**ई (एस1) – ई (एस2)**	**17,18,062**	

*अधिसूचना संख्या 11/2018-सीयूएस दिनांक 2 फरवरी 2018 के माध्यम से छूट दी गई

(ङ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या:

4,150 करोड़ रुपए /17,18,062 करोड़ रुपए = 24,155 संख्या

उदाहरण 2:

(क) प्रतिबद्ध निवेश: 6,484 करोड़ रुपए

(ख) इलेक्ट्रिक यात्री कार का सीआईएफ मूल्य: 35,000 डॉलर

(ग) विनिमय दर (1 यूएसडी):

(घ) प्रति इलेक्ट्रिक यात्री कार पूर्वगामी शुल्क:

तालिका 2: आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया का शुल्क त्याग और अधिकतम संख्या

विवरण	संदर्भ	दृश्य -1 (एस1)	दृश्य -2 (एस2)
		स्कीम का लाभ उठाए बिना लागू शुल्क	स्कीम का लाभ लेने के बाद लागू शुल्क
मूल्यांकन योग्य मूल्य (सीआईएफ मूल्य) (रुपए में)	ए	29,75,000	29,75,000
मूल सीमा शुल्क	बी = ए x 70% (एस1 के लिए), बी = ए x 15% (एस2 के लिए)	20,82,500	4,46,250
एसडब्ल्यूएस*	सी	0	0

आईजीएसटी @ 5%	डी = (ए+बी+सी) x 5%	2,52,875	1,71,063
भूमि लागत	**ई = योग(ए:डी)**	**53,10,375**	**35,92,313**
स्कीम के अंतर्गत आयातित प्रति ई-चौपहिया पर छोड़ा गया शुल्क (रुपए में)	**ई (एस1) – ई (एस2)**	**17,18,062**	

*अधिसूचना संख्या 11/2018-सीयूएस दिनांक 2 फरवरी 2018 द्वारा छूट दी गई

ङ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या:

6,484 करोड़ रुपए / 17,18,062 रुपए = 37,740 संख्या

उदाहरण 3:

(क) प्रतिबद्ध निवेश: 4,150 करोड़ रुपए

(ख) इलेक्ट्रिक यात्री कार का सीआईएफ मूल्य: 50,000 यूएसडी

(ग) विनिमय दर (1 यूएसडी): 85 रुपए

(घ) प्रति इलेक्ट्रिक यात्री कार पर शुल्क की छूट:

तालिका 3: आयात के लिए छूटे हुए शुल्क और अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या

विवरण	**संदर्भ**	**दृश्य -1(एस1)**	**दृश्य -2(एस2)**
		स्कीम का लाभ उठाए बिना लागू शुल्क	**स्कीम का लाभ लेने के बाद लागू शुल्क**
मूल्यांकन योग्य मूल्य (सीआईएफ मूल्य) (रुपए में)	ए	42,50,000	42,50,000
मूल सीमा शुल्क	बी = ए x 100% (एस1 के लिए), बी = ए x 15% (एस2 के लिए)	42,50,000	6,37,500
एसडब्ल्यूएस	सी = बी x 10% (एस1 के लिए), सी = बी x 0* (एस2 के लिए)	4,25,000	0
आईजीएसटी @5%	डी = (ए+बी+सी) x 5%	4,46,250	2,44,375
भूमि लागत	**ई = योग(ए:डी)**	**93,71,250**	**51,31,875**
स्कीम के अंतर्गत आयातित प्रति ई-चौपहिया पर छोड़ा गया शुल्क (रुपए में)	**ई (एस1) – ई (एस2)**	**42,39,375**	

*अधिसूचना संख्या 11/2018-सीयूएस दिनांक 2 फरवरी 2018 द्वारा छूट दी गई

(ङ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया की अधिकतम संख्या:

4,150 करोड़ रुपए / 42,39,375 करोड़ रुपए = 9,789 संख्या

2.9 स्वतंत्र लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के साथ पठित धारा 139 के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक। कंपनी में संयुक्त लेखा परीक्षक की नियुक्ति के मामले में, ऐसे संयुक्त लेखा परीक्षकों में से किसी एक को स्वतंत्र लेखा परीक्षक माना जाएगा।

2.10 कुल छोड़ा गया शुल्क: यह स्कीम के अंतर्गत ई-चौपहिया के आयात के लिए छोड़ा गया संचयी शुल्क है, जो निम्नलिखित में से कमतर तक सीमित होगा:

क) प्रतिबद्ध निवेश, या

ख) 6,484 करोड़ रुपए

3.0 निवेश

3.1 आवेदन अनुमोदन तिथि को या उसके बाद अनुमोदित आवेदक की खाता बहियों में किए गए और पूंजीकृत निवेश को ही स्कीम के अंतर्गत माना जाएगा।

3.2 निवेश के लिए चालान केवल अनुमोदित आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा विक्रेता/आपूर्तिकर्ता(ओं), समूह कंपनी(यों) या संबंधित पक्ष(क्षों) या किसी अन्य तीसरे पक्ष(क्षों) के नाम पर जारी किसी भी व्यय के लिए चालान को प्रतिबद्ध निवेश की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3.3 पात्र उत्पाद के घरेलू विनिर्माण के लिए निवेश किया जाना चाहिए। यदि स्कीम के तहत निवेश ब्राउनफील्ड परियोजना पर किया जाता है, तो मौजूदा विनिर्माण सुविधा(ओं) के साथ स्पष्ट भौतिक सीमांकन किया जाना चाहिए।

3.4 स्कीम के तहत किया जाने वाला निवेश केवल स्वीकृत आवेदक के संयंत्र स्थान तक ही सीमित होना चाहिए। हालाँकि, स्वीकृत आवेदक द्वारा स्थापित चार्जिंग अवसंरचना भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकता है। इसके अलावा, उपकरण, डाई, मोल्ड, जिग्स और फिक्स्चर आपूर्तिकर्ता के परिसर में स्थित हो सकते हैं।

3.5 चार्जिंग अवसंरचना और डिजाइन (ईआरएंडडी) में निवेश के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:

3.5.1 <u>चार्जिंग अवसंरचना:</u>

क) स्थापित किया जाने वाला चार्जिंग अवसंरचना विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, जो दिनांक 17 सितंबर 2024 को संख्या 12/2/2018-ईवी द्वारा "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना-2024 की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश" विषय पर जारी और समय-समय पर संशोधित किए गए थे।

ख) स्कीम के तहत चार्जिंग अवसंरचना के लिए निवेश केवल ई-चौपहिया के लिए बनाए गए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए पात्र होगा, जिसमें फास्ट चार्जिंग सुविधा होगी, जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों संख्या 12/2/2018-ईवी दिनांक 17 सितंबर 2024 के तहत परिभाषित और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

ग) चार्जिंग अवसंरचना पर किया गया व्यय प्रतिबद्ध निवेश के अधिकतम 5% तक माना जाएगा।

<u>3.5.2. इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास (ईआरएंडडी) (इन हाउस):</u>

क) डिजाइन पर व्यय में पात्र उत्पाद से संबंधित इन-हाउस और कैप्टिव इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास (ईआरएंडडी) तथा उत्पाद डिजाइन एवं विकास पर व्यय शामिल होगा। यहां "संबंधित" शब्द का तात्पर्य निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित माल की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों से है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है जो इसके कामकाज के लिए अभिन्न अंग है।

ख) इस व्यय में परीक्षण और माप उपकरण, परीक्षण के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप, डिजाइन उपकरणों की खरीद, सॉफ्टवेयर लागत (सीधे ईआरएंडडी के लिए प्रयुक्त) और लाइसेंस शुल्क, प्रौद्योगिकी पर व्यय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौते, जिसमें प्रौद्योगिकी की खरीद, आईपीआर, ईआरएंडडी के लिए पेटेंट और कॉपीराइट शामिल हैं, शामिल होंगे, बशर्ते कि इसके लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज परियोजना प्रबंधन एजेंसी (परियोजना प्रबंधन एजेंसी)/भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएं।

ग) नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट आदि सहित आईपीआर की एकमुश्त लागत को केवल प्रतिबद्ध निवेश की पूर्ति निर्धारित करने के लिए ही माना जाएगा। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया जाने वाला कोई भी आवर्ती व्यय, चाहे वह किसी भी नाम से हो, प्रतिबद्ध निवेश का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

घ) इस स्कीम के तहत ईआरएंडडी के लिए उप-संविदा की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन-हाउस ईआरएंडडी के लिए तकनीकी कर्मियों की पेशेवर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे अनुमोदित आवेदक के वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

ङ) ईआरएंडडी के मामले में, लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय को केवल प्रतिबद्ध निवेश की पूर्ति निर्धारित करने के लिए ही माना जाएगा।

3.6. निम्नलिखित उन विवरणों की सूची है जिन्हें स्कीम के अंतर्गत निवेश से बाहर रखा जाएगा:

क) भूमि

ख) मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं के अलावा अन्य भवन

ग) रॉयल्टी

घ) पेटेंट, जानकारी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि सहित आईपीआर पर आवर्ती व्यय

ङ) प्रशासनिक/छात्रावास भवन/कर्मचारी क्वार्टर

च) निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), पूर्व-संचालन और प्रशासनिक व्यय

छ) मंदी की बिक्री/सेकंड हैंड मशीनरी/पुनर्निर्मित मशीनरी

ज) जीएसटी रिटर्न में लाभ न लेने पर भी क्रेडिट योग्य कर और शुल्क (जैसे जीएसटी)

झ) भारत सरकार की अन्य पीएलआई/प्रोत्साहन स्कीमों के तहत किए गए निवेश

ञ) राजस्व व्यय

ट) पट्टे पर दी गई संपत्तियां

ठ) प्रगति में पूंजीगत कार्य

3.7. अनुमोदित आवेदक के निवेश की तर्कसंगतता के निर्धारण और सत्यापन के प्रयोजन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए जाएंगे।

4. आवेदक(कों) के लिए पात्रता मानदंड

4.1. आवेदक को स्कीम के पैरा 4.1 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा तथा स्कीम के पैरा 4.2 में दिए गए अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

4.2. <u>बैंक गारंटी (बीजी)</u>: प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करनी चाहिए:

क) बैंक गारंटी भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी बिना शर्त, अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी होनी चाहिए।

ख) इसे आवेदन स्वीकृति तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी वैधता जमा करने के समय कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए।

ग) बैंक गारंटी स्कीम की अवधि के दौरान हर समय वैध होनी चाहिए। बैंक गारंटी का प्रारूप **संलग्नक-II-क** के अनुसार है। इसके अलावा, बैंक गारंटी के साथ **संलग्नक-II-ख** के अनुसार प्रारूप में एक वचनबंध भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.3. स्वीकृत आवेदक में विदेशी (अनिवासी) निवेश समय-समय पर संशोधित एफडीआई नीति 2020 या उसके बाद जारी की गई एफडीआई नीति, यदि कोई हो, के अनुरूप होगा। आवेदक एक वचनबंध (**संलग्नक-III** के अनुसार प्रारूप) प्रस्तुत करेगा कि वे उक्त एफडीआई नीति या समय-समय पर संशोधित के तहत पात्र हैं।

4.4. कंपनियों/समूह कंपनियों के व्यक्तिगत प्रमोटरों के राजस्व/निवेश/निवल मूल्य को स्कीम के तहत पात्रता के लिए क्रमशः वैश्विक समूह राजस्व/वैश्विक निवेश के तहत नहीं माना जाएगा।

4.5. यदि आवेदक (समूह कंपनियों सहित) का वैश्विक समूह राजस्व और वैश्विक निवेश भारतीय राष्ट्रीय रुपये (रुपए) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में उपलब्ध है, तो भारतीय मुद्रा समतुल्य राशि की गणना रिपोर्टिंग अवधि के पहले दिन और अंतिम दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर का औसत लागू करके की जा सकती है।

4.6. आवेदक और समूह कंपनियों की अचल संपत्तियों के सकल ब्लॉक में राजस्व और वैश्विक निवेश, जिनके आंकड़ों को पात्रता निर्धारित करने के लिए माना गया है, आवेदक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है। समूह कंपनियों के लिए वैश्विक समूह राजस्व और वैश्विक निवेश के सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रारूप **संलग्नक-IV** में प्रदान किया गया है।

4.7. आवेदक जिनके खाते आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) माने जाते हैं या आरबीआई/सिबिल या सेबी की प्रतिबंधित सूची के अनुसार डिफॉल्टर या जानबूझकर डिफॉल्टर माने जाते हैं या किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं, उन्हें अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा, आवेदक के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में कोई दिवालियापन कार्यवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

जिन समूह कंपनियों की वित्तीय स्थिति पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार की जा रही है, उन्हें भी डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुष्टि की गई हो कि आवेदक और उसकी समूह कंपनियों को किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा डिफॉल्टर/जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है/धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया है/दिवालियापन की कार्यवाही के लिए स्वीकार नहीं किया गया है/किसी प्रतिभूति या वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। आवेदक और भारत में पंजीकृत उसकी समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप **संलग्नक-V-क** में दिया गया है और भारत के बाहर पंजीकृत समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप **संलग्नक-V-ख** में दिया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र को वार्षिक और इस संबंध में आवेदक या उसकी समूह कंपनियों की स्थिति में प्रत्येक अद्यतन पर फिर से जमा करना होगा।

5. आवेदन प्रक्रिया

5.1. आवेदक को वित्तीय और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है। अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन को आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसे आवेदक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो। निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रारूप **संलग्नक-VI** में है।

5.2. आवेदन पत्र दाखिल करते समय आवेदक द्वारा 5,00,000/- रुपए का अप्रतिदेय योग्य आवेदन शुल्क देय होगा। आवेदन शुल्क के प्रेषण के लिए बैंक खाते का विवरण और संबंधित नियम और शर्तें आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार ही होंगी। आवेदन शुल्क केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाएगा।

5.3. यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में आवेदक के चयन को प्रभावित करने वाली गलत जानकारी दी गई थी, तो आवेदन किसी भी स्तर पर अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.4. आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर, परियोजना प्रबंधन एजेंसी आवेदक को स्कीम से संबंधित सभी भावी संदर्भों के लिए एक अद्वितीय आवेदन आईडी जारी करेगा।

5.5. आवेदन की एक हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नकों के साथ भारी उद्योग मंत्रालय को जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करनी होगी। हार्ड कॉपी निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय, कमरा नंबर 218, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001 को जमा की जाएगी।

5.6. भारी उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, परियोजना प्रबंधन एजेंसी 5 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदित आवेदक को स्कीम के तहत अनुमोदन की सूचना देते हुए एक पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा।

6. स्कीम स्वीकृति समिति (एसएससी)

6.1. स्कीम की स्वीकृति, समग्र निगरानी और कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यान्वयन चरण में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा/कठिनाई को दूर करने के लिए, गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी स्कीम स्वीकृति समिति गठित की जाएगी। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(क) सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय (अध्यक्ष)

(ख) सीईओ, नीति आयोग

(ग) सचिव, राजस्व विभाग (डीओआर)

(घ) सचिव, आर्थिक मामले विभाग (डीईए)

(ङ) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई)

(च) सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

(छ) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)

(ज) सचिव, विद्युत मंत्रालय (एमओपी)

(झ) वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय

(ञ) निदेशक, एआरएआई

(ट) अतिरिक्त/संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय (सदस्य सचिव)

समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को भी शामिल कर सकती है।

7. कम सीमा शुल्क लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

7.1. वर्तमान स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार, आरंभ में, स्वीकृत आवेदक को प्रतिबद्ध निवेश या रु. 10 लाख की सीमा तक सीमा शुल्क छूट प्रदान करेगी। 6,484 करोड़, जो भी कम हो, यहां निर्धारित तरीके से।

7.2. अधिसूचना संख्या 19/2024 और 20/2024- सीमा शुल्क दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार, स्कीम के तहत शुल्क लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुमोदित आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, कि -

(i) आयातक के पास भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सा.आ. संख्या 1363 (अ) दिनांक 15 मार्च, 2024 के तहत अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम' के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक वैध अनुमोदन पत्र है;

(ii) आयातक पूर्वोक्त स्कीम की शर्तों को पूरा करता है और आयात किए जा रहे वाहनों की मात्रा पूर्वोक्त स्कीम के पैरा 1.3.5 और पैरा 1.3.6 में निर्धारित सीमाओं के भीतर है; और

(iii) आयातक आयात किए जा रहे माल के संबंध में इस छूट के अनुदान के लिए पात्र है।

7.3. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, अनुमोदित आवेदक को स्कीम के तहत अगले 12 महीनों में आयात किए जाने वाले प्रस्तावित ई-चौपहिया की संख्या के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी को वार्षिक आयात आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त वार्षिक आयात आवेदन पहले वर्ष के लिए आवेदन अनुमोदन तिथि के 30 दिनों के भीतर और बाद में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता है। प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक आयात आवेदन का प्रारूप **संलग्नक-VII** के अनुसार है। आवेदक के पास उचित औचित्य के साथ, यदि आवश्यक हो, संशोधित वार्षिक आयात आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। संशोधित वार्षिक आयात आवेदन प्रस्तुत करने का यह विकल्प वर्ष के दौरान केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.4. पहले वर्ष के बाद, स्वीकृत आवेदक को वार्षिक आयात आवेदन के साथ-साथ चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को प्रमाणित किया जाएगा:

क. आज तक किए गए निवेश (जारी किए गए खरीद आदेश, किए गए व्यय और पूंजीकृत राशि)।

ख. क्या किया गया निवेश और निर्माण आवेदन के समय प्रस्तुत व्यवसाय/परियोजना स्कीम के अनुरूप है (**संलग्नक-VIII** के अनुसार)।

ग. साइट विजिट के दौरान ली गई विनिर्माण सुविधा(ओं) की तस्वीरें।

घ. आपूर्तिकर्ता के परिसर में स्थित परिसंपत्तियों का विवरण।

ङ. कोई अन्य दस्तावेज जो चार्टर्ड इंजीनियर को आवश्यक लगे या जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

7.5. स्वीकृत आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आयात आवेदन और चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र की परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा समीक्षा की जाएगी। परियोजना प्रबंधन एजेंसी भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी के साथ भी प्रति जांच कर सकता है। तदनुसार, परियोजना प्रबंधन एजेंसी वार्षिक आयात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

7.6. भारी उद्योग मंत्रालय, परियोजना प्रबंधन एजेंसी की सिफारिश की समीक्षा करेगा और संतुष्ट होने पर, भारी उद्योग मंत्रालय आवेदक के लिए वार्षिक आयात प्रमाणपत्र जारी करेगा।

8. निगरानी

8.1. अनुमोदन पत्र जारी होने के बाद, परियोजना प्रबंधन एजेंसी अनुमोदित आवेदक(कों) की प्रगति की निगरानी करेगा।

8.2. स्कीम के तहत प्रगति की निगरानी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

8.3. आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी या भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से मूल चालान, प्रवेश बिल (आयातित वस्तुओं के लिए), बैंक खाता विवरण आदि सहित सभी मूल दस्तावेजों को बनाए रखना और प्रस्तुत करना होगा।

8.4. भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी को या तो स्वयं या किसी प्रमाणित तृतीय पक्ष के माध्यम से सत्यापन और सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से साइट विजिट के माध्यम से आवेदक की विनिर्माण इकाई(यों) और कार्यालय(यों) का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

8.5. पात्रता और देय लाभ के निर्धारण के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी अन्य मामले में, परियोजना प्रबंधन एजेंसी ऐसे मामले को स्पष्टीकरण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को संदर्भित कर सकता है।

8.6. यदि परियोजना प्रबंधन एजेंसी या भारी उद्योग मंत्रालय को यह विश्वास हो कि स्कीम के अंतर्गत पात्रता और/या स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लाभ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किए गए हैं, तो भारी उद्योग मंत्रालय स्वीकृत आवेदक को स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किसी भी लाभ को वापस करने के लिए कहेगा, साथ ही लाभ प्राप्त करने की तिथियों पर प्रचलित 3 वर्ष की एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) पर गणना किए गए ब्याज के साथ, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज भी देगा। यह भारी उद्योग मंत्रालय के किसी अन्य कार्रवाई करने के अधिकार के अतिरिक्त होगा, जिसे वह उचित समझे।

8.7. किसी परियोजना/इकाई के स्थान में कोई भी परिवर्तन/विचलन भारी उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, आवेदक स्थान परिवर्तन के कारण के साथ संशोधित परियोजना स्कीम प्रस्तुत करेगा, जिसे परियोजना प्रबंधन एजेंसी सत्यापित करेगा और यदि परिवर्तन की वास्तविकता से संतुष्ट होगा, तो अनुमोदन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को अपनी सिफारिश के साथ आवेदन अग्रेषित करेगा। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

8.8. स्वीकृत आवेदक को स्कीम अवधि के दौरान भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में की जा रही प्रगति पर प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर परियोजना प्रबंधन एजेंसी को तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। क्यूआरआर का प्रारूप संलग्नक-IX में दिया गया है।

8.9. स्कीम के तहत विनिर्माण स्थलों, वित्तीय विवरणों, आयात अभिलेखों और कंपनी के संचालन से संबंधित किसी भी अन्य डेटा के ऑडिट/सत्यापन के लिए सहमति **संलग्नक-X** के अनुसार प्रारूप में प्रदान की जानी है।

9. परिचालन की शुरुआत और न्यूनतम राजस्व मानदंड

9.1. परिचालन की शुरुआत की तिथि आवेदन स्वीकृति तिथि से 3 वर्ष के भीतर होगी।

9.2. न्यूनतम राजस्व मानदंड: आवेदन स्वीकृति तिथि से चौथे वर्ष की शुरुआत से पात्र उत्पाद की बिक्री से न्यूनतम राजस्व निम्नानुसार होगा:

विवरण	वर्ष 4 (वर्ष4)	वर्ष 5 (वर्ष5)
पात्र उत्पाद की बिक्री से न्यूनतम राजस्व	5,000 करोड़ रुपए	7,500 करोड़ रुपए

9.3. यदि अनुमोदित आवेदक उपर्युक्त पैरा 9.1.(ख) में परिभाषित न्यूनतम राजस्व मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है, तो अनुमोदित आवेदक आवेदन अनुमोदन तिथि से वर्ष 4 (वर्ष4) और/या वर्ष 5 (वर्ष5) के अंत में भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा जुर्माना मांग नोटिस जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित जुर्माना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

क्र.सं.	वर्ष 4 और वर्ष 5 के लिए न्यूनतम राजस्व मानदंड के प्रतिशत के रूप में पात्र उत्पाद की बिक्री से वास्तविक राजस्व	जुर्माना
1	95% के बराबर या इससे अधिक	शून्य
2	50% के बराबर या इससे अधिक तथा 95% से कम	न्यूनतम राजस्व की कमी का 1%
3	25% के बराबर या इससे अधिक तथा 50% से कम	न्यूनतम राजस्व की कमी का 2%
4	25% से कम	न्यूनतम राजस्व की कमी का 3%

यदि आवेदक अनुमत समय अवधि के भीतर भारी उद्योग मंत्रालय को उपर्युक्त जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय को यथावश्यक उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

10. घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन और परीक्षण एजेंसी(यों) की भूमिका

10.1. स्कीम के तहत अपेक्षित पात्र उत्पाद के घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन करने के लिए, ऑटोमोबिल और ऑटो घटक (पीएलआई ऑटो स्कीम) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा।

10.2. अनुमोदित आवेदक द्वारा भारत में निर्मित पात्र उत्पाद के घरेलू मूल्यवर्धन का प्रमाणन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी(यों) द्वारा किया जाएगा ।

10.3. इसके अलावा, पीएलआई ऑटो स्कीम के लिए जारी घरेलू मूल्यवर्धन के प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणित उत्पादों का तकनीकी-वाणिज्यिक ऑडिट (टीसीए) और आवधिक निगरानी ऑडिट (पीएसए) भी आवश्यक होगा।

10.4. अनुमोदित आवेदक को भारत में ई-चौपहिया के आयात के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और मोटर वाहनों के लिए लागू सभी अन्य विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

11. दिशा-निर्देश/प्रक्रिया तैयार करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की शक्तियाँ

11.1. भारी उद्योग मंत्रालय के पास इस स्कीम/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया तैयार करने/निर्धारित करने अथवा किसी भी नियम व शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने आदि की शक्तियाँ होंगी।

11.2. भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के पास इस स्कीम के संबंध में कोई भी सूचना/डेटा/रिकॉर्ड आदि माँगने अथवा ऐसे रिकॉर्ड/सूचना (मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक) का निरीक्षण करने की शक्तियाँ होंगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

11.3. स्वीकृत आवेदक को आयकर अधिनियम 1961/सीजीएसटी अधिनियम/सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)/भारत सरकार के निर्देश/इस स्कीम की अवधि, जो भी अधिक हो, जैसे वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट समयावधि के लिए सभी प्रासंगिक डेटा/दस्तावेज/रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। आवेदकों को दस्तावेजों के रखरखाव/धारण के लिए उपर्युक्त अधिनियमों/प्रावधानों, विशेष रूप से जीएफआर का संदर्भ लेना चाहिए।

11.4. भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी को निरीक्षण और सत्यापन के उद्देश्य से परिसर/ कार्यालय/ कार्य/ कारखाना/ कार्यस्थल आदि का दौरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करने का अधिकार होगा और वह इस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है या निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यदि आवेदक के आपूर्तिकर्ता(ओं) की किसी इकाई(ओं) का दौरा करना आवश्यक है, तो आवेदक इसकी सुविधा प्रदान करेगा।

11.5. स्कीम और दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सभी परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

12. विवादों का समाधान

12.1. इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी विवाद का समाधान आपसी चर्चा और सुलह से किया जाएगा। मतभेद की स्थिति में, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त/संयुक्त सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

12.2. इस स्कीम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली, भारत के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में होगा।

13. स्कीम या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

अनुमोदित आवेदक द्वारा स्कीम या स्कीम दिशा-निर्देशों की किसी भी शर्त या भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी स्वतः ही लागू कर दी जाएगी।

14. सत्यनिष्ठा समझौता

14.1. वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट आचरण के खिलाफ रोकथाम प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और खरीद के मामले में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों से संकेत लेते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक सत्यनिष्ठा अनुपालन के संबंध में अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबंध प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि आवेदन पत्र के साथ जारी किया जाएगा। वचनबंध सभी आवेदकों द्वारा प्रदान की जाएगी। जो आवेदक वचनबंध प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.2. सत्यनिष्ठा समझौता आवेदक(कों) द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय और उसके बाद प्रत्येक वार्षिक आयात आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तुत किए जाने वाले सत्यनिष्ठा समझौता वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-XI में दिए गए अनुसार है।

15. विविध

स्कीम अधिसूचना और इसके दिशा-निर्देशों की समीक्षा और संशोधन गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, इस संबंध में अधिसूचना/एफएक्यू/दिशा-निर्देश/परिपत्र/मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्टीकरण परियोजना प्रबंधन एजेंसी/गृह मंत्रालय द्वारा स्कीम के संबंध में किसी भी अस्पष्टता/चिंता को हल करने के लिए जारी किया जा सकता है।

[फा. सं. 1(2)/2024- एईआई (28128)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

संलग्नक-I: आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का विवरण:

1.1 आवेदक का विवरण:

*आवेदक/कंपनी का नाम	* निगमन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	*कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	*पैन कार्ड संख्या	*कानूनी इकाई का प्रकार	*आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)	*सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	*वेबसाइट
<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>		<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>		पब्लिक लिमिटेड कंपनी/		<ड्रॉप डाउन>	

				प्राइवेट लिमिटेड कंपनी			

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में निगमन प्रमाणपत्र, पैन कार्ड और आईईसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि अपलोड की जानी है

*पंजीकृत कार्यालय पता-पंक्ति 1	*पंजीकृत कार्यालय पता-पंक्ति 2	*शहर/जनपद	*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	*पिन कोड	*पंजीकृत कार्यालय का जीएसटी पिन
<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	

जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड की जाएगी

1.2. आवेदक के प्रमुख प्रवर्तक (51% से कम इक्विटी शेयरधारिता नहीं):

क्र.सं.	*नाम	*राष्ट्रीयता(देश)	*मोबाइल संख्या	*ई-मेल	*पता	*जन्म तिथि/ निगमन (दिनांक/माह/वर्ष)	*धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	*% धारित इक्विटी शेयर
कुल								

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में नवीनतम कंपनी सचिव (सीएस) प्रमाणित शेयरधारिता पैटर्न अपलोड किया जाना है

1.3. आवेदक का निदेशक मंडल::

क्र.सं.	*नाम	*पदनाम	*डीआईएन	*ई-मेल	*मोबाइल संख्या	*पता	*जन्म तिथि

निदेशकों की प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड की जाएगी

1.4. आवेदक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) [एमडी, सीएफओ, सीएस]:

क्र.सं.	*नाम	*पदनाम	*ई-मेल	*मोबाइल संख्या	*पता

बोर्ड के प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किए जाएंगे

1.5 आवेदक का अधिकृत व्यक्ति:

प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

क्र. सं.	*नाम	*पदनाम	*पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	*पैन कार्ड संख्या	*ई-मेल	*मोबाइल संख्या	*पता
	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>			<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	<पंजीकरण फॉर्म से स्वतः भरा गया>	

अतिरिक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

क्र.सं.	*नाम	*पदनाम	*पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	*पैन कार्ड संख्या	*ई-मेल	*मोबाइल संख्या	*पता

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में प्राधिकरण पत्र की प्रति अपलोड की जानी है।

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में स्व-सत्यापित पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड की प्रति अपलोड की जानी है।

1.6. स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक का विवरण (आवेदन की तिथि के अनुसार):

*सीए/सीए फर्म का नाम	*पता	*सदस्यता/एफआरएन संख्या	*नियुक्ति की तारीख

2. स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाली कंपनी(यों) का विवरण

2.1 समूह कंपनी(यों) का विवरण जिनके क्रेडेंशियल का उपयोग स्कीम के अंतर्गत पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए किया गया है:

क्र. सं.	*कंपनी का नाम	*पंजीकृत पता	* पंजीकरण संख्या/सीआईएन	*निगमन की तारीख	*निगमन का देश	*आवेदक के साथ संबंध	*इसे "समूह कंपनी" मानने का कारण (स्कीम अधिसूचना का 2.14)

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में निगमन प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है

2.2 आवेदक और उसकी समूह कंपनियों के लिए शोधन क्षमता/निषेध/डिफॉल्टर/क्रेडिट रेटिंग घोषणा:

क्र.सं.	*कंपनी का नाम	* क्या आरबीआई की डिफॉल्टर सूची में है?	*क्या दिवालियापन/दिवालियापन कार्यवाही के लिए स्वीकार किया गया है?	*क्या आप जानबूझकर डिफॉल्टर सूची में हैं?	*क्या यह प्रतिभूति/वित्तीय क्षेत्र नियामक की निषिद्ध सूची में है?	*भारत या विश्व स्तर पर सरकारी संगठन / निकाय / प्राधिकरण द्वारा काली सूची में डाला गया हो	*बाहरी क्रेडिट रेटिंग	*रेटिंग एजेंसी का नाम	*रेटिंग की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
		<ड्रॉप डाउन>	<ड्रॉप डाउन>	<ड्रॉप डाउन>	<ड्रॉप डाउन>	<ड्रॉप डाउन>	<ड्रॉप डाउन>		

आवेदक (समूह कंपनियों सहित) के लिए कंपनी सचिव से डिफॉल्टर/दिवालिया/ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किया जाना है।

सभी कंपनियों की सीबिल रिपोर्ट (आवेदन जमा करने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं) (कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित) दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड की जानी है।

रेटिंग तर्क दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किया जाना है।

2.3 आवेदक एवं समूह कंपनी(यों) के वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति:

क्र.सं.	*कंपनी का नाम	*वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड की जाने वाली व्यावसायिक प्रोफ़ाइल/कॉर्पोरेट प्रस्तुति

2.4 आवेदक एवं उसकी समूह कंपनी(यों) की भारत में वर्तमान विनिर्माण सुविधाएं:

क्र.सं.	*कंपनी का नाम	*पता	*जीएसटीआई एन	*प्रति वर्ष स्थापित उत्पादन क्षमता (आईसीई कारों की इकाइयों की संख्या में)	*प्रति वर्ष स्थापित उत्पादन क्षमता (ई-चौपहिया की इकाइयों की संख्या में)

3. पात्रता विवरण

3.1 स्कीम के अंतर्गत पात्रता मानदंड (वैश्विक समूह राजस्व और अचल संपत्तियों के सकल ब्लॉक में वैश्विक निवेश):

क्र.सं.	*कंपनी का नाम	*नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अवधि	*आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ऑटोमोटिव विनिर्माण से राजस्व (करोड़ रुपये में)	*आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर अचल संपत्तियों का सकल ब्लॉक (करोड़ रुपये में)
	<1.1 और 2.1 से स्वचालित रूप से पॉप्युलेटेड>			
कुल			-	-

आवेदक और समूह कंपनी(यों) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किए जाने चाहिए।

वैश्विक समूह राजस्व और वैश्विक निवेश को प्रमाणित करने वाला स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किया जाना चाहिए।

4. आयात के लिए अनुमत ई-चौपहिया वाहनों का विवरण

4.1 स्कीम के अंतर्गत आयात हेतु अनुमत ई-चौपहिया वाहनों मॉडलों की सांकेतिक सूची:

							आयातित होने वाली इकाइयों की अपेक्षित संख्या					
क्र. सं.	*मॉडल का नाम	*ओईएम का नाम	*क्या ओईएम समूह कंपनी है?	*इसे "समूह कंपनी" मानने का कारण	*ओईएम के पंजीकरण का देश	*सीआईएफ मूल्य की संभावित सीमा (यूएसडी में)	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5	कुल
			<ड्रॉपडाउन>	<ड्रॉपडाउन>								
कुल							-	-	-	-	-	

4.2 इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित शुल्क छूट का लाभ:

				शुल्क छूट का लाभ (रु.)					
क्र. सं.	*मॉडल का नाम	*ओईएम का नाम	*सीआईएफ मूल्य की संभावित सीमा (यूएसडी में)	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5	कुल
			कुल						

5. परियोजना विवरण

5.1 स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पाद के लिए प्रस्तावित विनिर्माण सुविधाएं:

क्र. सं.	*पता	*शहर/जिला	*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*पिन कोड	*जीएसटीआईएन प्राप्त हुआ?	*जीएसटी आईएन	जीएसटी आरसी	क्या यह नई सुविधा है /ब्राउनफील्ड (विस्तार) परियोजना है?
					<ड्रॉपडाउन>		<अपलोड>	<ड्रॉपडाउन>

दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में व्यवसाय/परियोजना योजना अपलोड की जाएगी

जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) यहां अपलोड किए जाएंगे

5.2 स्कीम के अंतर्गत किया जाने वाला प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)* : _____

5.3 स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश का सांकेतिक ब्यौरा (करोड़ रुपये में):

	वर्ष				
विवरण*	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5
भवन (मुख्य संयंत्र और उपयोगिताएं)					
संयंत्र, मशीनरी और उपकरण					
आपूर्तिकर्ताओं के परिसर में उपकरण, डाइज़, मोल्ड्स , जिग्स, फिक्सचर					
चार्जिंग अवसंरचना					
संबद्ध उपयोगिताएँ					
इंजीनियरी अनुसंधान एवं विकास (इन-हाउस)					
कुल	-	-	-	-	-
न्यूनतम संचयी निवेश			4,150 करोड़ रुपये (न्यूनतम)		

5.4 स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पाद के मॉडलों की सांकेतिक सूची:

क्र. सं.	*मॉडल नाम	*रेंज* (किमी में)	बैटरी क्षमता (किलोवाट घंटा में)	एक्स-फैक्ट्री कीमत (रु.)

5.5 स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पाद(ओं) की अनुमानित बिक्री:

	वर्ष				
विवरण	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5
मॉडल का नाम < मॉडल 1 >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >
प्रति वर्ष विनिर्माण क्षमता (इकाइयों में)					
प्रति वर्ष अनुमानित बिक्री (ई-4डब्ल्यू की इकाइयों की संख्या					

में)					
अनुमानित औसत विक्रय मूल्य (रुपये/इकाई में)					
प्रति वर्ष अनुमानित राजस्व (भारतीय रुपये में)	<स्वतः गणना>	<स्वतः गणना>	<स्वतः गणना>		
मॉडल का नाम < मॉडल 2 >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >
मॉडल का नाम < मॉडल 3 >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	<5.4 से स्वचालित रूप से भर जाएंगे >
प्रति वर्ष कुल राजस्व	-	-	-	<न्यूनतम 5,000 करोड़ रुपये>	<न्यूनतम 7,500 करोड़ रुपये>

5.6 प्रत्येक वर्ष के अंत तक प्रस्तावित घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए)%:

	वर्ष				
	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5
डीवीए%			<न्यूनतम 25%>		<न्यूनतम 50%>

5.7 स्कीम की अवधि के दौरान भारत में अपेक्षित संचयी रोजगार सृजन:

	वाई1	वाई2	वाई3	वाई4	वाई5
ऑन-रोल श्रमिक / कर्मचारी					
संविदात्मक					
शिक्षु					
कुल	-	-	-	-	-

6. आवेदन शुल्क

6.1 आवेदन शुल्क निम्नलिखित बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है:

खाते का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा कोड	शाखा आईएफएससी कोड	शाखा का नाम	शाखा का पता
< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >	< स्वचालित रूप से भर जाएंगे >

6.2 आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) भुगतान विवरण:

*भुगतान तिथि (दिन/माह/वर्ष)	*अद्वितीय(युनीक) संदर्भ क्रमांक.	*बैंक का नाम	*राशि (भारतीय रुपये में)

आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में अपलोड किया जाना है

7. दस्तावेज़ अपलोड

7.1 दस्तावेज़ अपलोड (सभी दस्तावेज़ों को प्रमाणित किया जाना है):

1.	आवेदक का निगमन प्रमाणपत्र (सीओआई)
2.	आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
3.	आवेदक का आईईसी प्रमाणपत्र
4.	आवेदक का जीएसटी प्रमाणपत्र
5.	संगम ज्ञापन (एमओए)
6.	संस्था के अंतर्नियम (एओए)
7.	नवीनतम कंपनी सचिव (सीएस) प्रमाणित शेयरधारिता पैटर्न
8.	निदेशकों की प्रोफ़ाइल
9.	आवेदक के सभी केएमपी के लिए बोर्ड संकल्प/नियुक्ति पत्र
10.	प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण पत्र
11।	प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस
12.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन कार्ड
13.	अतिरिक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण पत्र
14.	अतिरिक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड
15.	अतिरिक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन कार्ड
16.	समूह कंपनी(यों) का निगमन प्रमाणपत्र
17.	दिवालिया न होने का प्रमाण पत्र
18.	आवेदक और उसकी समूह कंपनियों की सिबिल/क्रेडिट सूचना रिपोर्ट
19.	आवेदक और उसकी समूह कंपनियों के लिए रेटिंग रिपोर्ट (रेटिंग तर्क सहित)
20.	आवेदक और समूह कंपनी(यों) का व्यावसायिक प्रोफ़ाइल/कॉर्पोरेट प्रस्तुतिकरण
21.	ऑटोमोबाइल विनिर्माण के संबंध में स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित वैश्विक समूह राजस्व और अचल संपत्तियों का सकल ब्लॉक
22.	आवेदक और समूह कंपनी(यों) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
23.	भारत में पात्र उत्पाद की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए व्यवसाय/परियोजना योजना
24.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि प्राप्त हो, तो प्रस्तावित स्थानों के लिए जहां प्रतिबद्ध निवेश किया जाना है
25.	आवेदन शुल्क भुगतान प्रमाण
26.	सत्यनिष्ठा अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता
27.	योजना के अंतर्गत विनिर्माण स्थलों, वित्तीय विवरणों, आयात अभिलेखों और कंपनी के परिचालन से संबंधित किसी भी अन्य डेटा की लेखापरीक्षा/सत्यापन के लिए सहमति

8.1 घोषणा:

इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत डेटा, दस्तावेज, घोषणा और कोई अन्य जानकारी मेरे पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर आधारित है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैंने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के प्रावधानों को पढ़ा और समझा है, जैसा कि एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 15/03/2024, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमा शुल्क और 20/2024-सीमा शुल्क दिनांक 15 मार्च 2024 और उसके प्रासंगिक दिशानिर्देशों द्वारा अधिसूचित किया गया है और उसी के अनुसार सभी जानकारी, डेटा, दस्तावेज और घोषणा प्रस्तुत की है। इस आवेदन की स्वीकृति, योजना के तहत पात्रता और किसी भी अन्य संबंधित मामले के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और आवेदक कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

□ **मैं नियम व शर्तें समझता/समझती हूँ**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तारीख :

पदनाम :

अनुलग्नक-II- बैंक गारंटी विलेख

(किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से)

<u>प्रारूप</u>

यह गारंटी विलेख इस माह, ___ (वर्ष) के _____ दिन को _____ पर _____ द्वारा (भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से) निष्पादित किया जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय _____ में है और अन्य बातों के साथ-साथ एक शाखा कार्यालय _____ में है (जिसे इसके बाद बैंक या 'गारंटर' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को शामिल करने वाली समझी जाएगी)।

के पक्ष में

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 (इसके बाद इसे 'एमएचआई' कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति तब तक मानी जाएगी जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 में है, जो भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम ('एसपीएमईपीसीआई' या 'योजना') के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी ('पीएमए') के रूप में कार्य कर रही है।

जबकि

क. [.....], कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय [----------] पर है। (इसके बाद 'अनुमोदित आवेदक' के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) और उसे दिनांक ---------- के पत्र संख्या ---------- ---------- ('अनुमोदन पत्र') के तहत उपर्युक्त स्कीम के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ख. दिनांक ---------- के वचनबंध (अनुलग्नक-II-बी के अनुसार प्रारूप में प्रदान किए जाने वाले वचनबंध का संदर्भ लें) और स्कीम अधिसूचना एसओ संख्या 1363 के पैरा 4.2.2 और 4.2.3 के अनुसार, आवेदक को ₹ 4,150 करोड़ (चार हजार एक सौ पचास करोड़ रुपये) के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी, या प्रस्तावित शुल्क छूट अर्थात ₹ ..... (शब्दों में ....), जो भी अधिक हो, एमएचआई द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जो प्रस्तुत करने के समय कम से कम 6 वर्षों के लिए वैध हो ।

ग. अनुमोदित आवेदक के अनुरोध पर, गारंटर ने यह गारंटी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि अनुमोदित आवेदक द्वारा उक्त वचनबंध एके अंतर्गत अपने दायित्वों का यथोचित और समय पर निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके।

अब यह विलेख इस प्रकार साक्ष्य देता है:

I. गारंटर इसके द्वारा समय-समय पर संशोधित उक्त वचनबद्धता और अनुमोदन पत्र के तहत अनुमोदित आवेदक के बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सभी दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक निर्वहन की गारंटी देता है।

II. गारंटर, बिना किसी आपत्ति के, एमएचआई/पीएमए को एमएचआई/पीएमए से लिखित मांग प्राप्त होने पर पांच (5) बैंक कार्य दिवसों (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार) के भीतर कुल मिलाकर ₹ ---------- (रुपये ----------) तक की रकम का भुगतान करेगा, जिसमें कहा गया होगा कि अनुमोदित आवेदक उपर्युक्त वचनबद्धता के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। गारंटर को अनुमोदित आवेदक की ओर से किसी भी उल्लंघन या विफलता या एमएचआई/पीएमए द्वारा की गई मांग की वैधता की सत्यता में नहीं जाना होगा और किसी भी विपरीत निर्देश दिए जाने या अनुमोदित आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद मांग में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा । गारंटर के दायित्व तब तक बने रहेंगे जब तक कि ऐसी सभी मांगों को विधिवत पूरा नहीं किया जाता है और इसके प्रावधानों के अनुसार निर्वहन नहीं किया जाता है;

III. गारंटर इस बात से सहमत है कि इस गारंटी के तहत उसके दायित्व किसी भी बदलाव, परिवर्तन, संशोधन, छूट या किसी भी सुरक्षा की रिहाई से प्रभावित नहीं होंगे और इसके संबंध में गारंटर की कोई और सहमति की आवश्यकता नहीं है ;

IV. यह गारंटी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगी; और _____ (बैंक गारंटी अवधि) तक पूरी तरह से लागू रहेगी (तारीख एमएचआई/पीएमए को जमा करने की तारीख से 6 वर्षों से कम नहीं हो सकती)। एमएचआई द्वारा वर्तमान गारंटी को लागू करने के लिए दावा अवधि बैंक गारंटी अवधि की समाप्ति से आगे 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए रहेगी, अर्थात _____ (दावा अवधि) तक। गारंटर, दावा अवधि के भीतर एमएचआई/पीएमए से लिखित दावा/मांग प्राप्त होने पर एमएचआई/पीएमए को इस गारंटी के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

V. गारंटर की कुल देयता ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) तक सीमित होगी, जब तक कि उक्त वचनबद्धता के प्रावधानों के तहत एमएचआई/पीएमए द्वारा पहले ही जारी/मुक्त नहीं कर दिया जाता;

VI. यह गारंटी अनुमोदित आवेदक/गारंटर की संरचना में किसी भी परिवर्तन या उसके परिसमापन (वाइंडिंग अप), या अनुमोदित आवेदक/गारंटर के किसी अन्य व्यक्ति के साथ विलय, समामेलन या अवशोषण से प्रभावित नहीं होगी;

VII. गारंटर को यह गारंटी जारी करने और इसमें परिकल्पित दायित्वों के निर्वहन का अधिकार है, और अधोहस्ताक्षरी इस गारंटी को निष्पादित करने के लिए विधिवत अधिकृत है;

VIII. एमएचआई/पीएमए के लिए इस गारंटी के तहत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदित आवेदक/गारंटर के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा;

IX. वर्तमान गारंटी के तहत एमएचआई/पीएमए द्वारा की गई कोई भी मांग निर्णायक, बाध्यकारी, पूर्ण और स्पष्ट होगी, भले ही स्वीकृत आवेदक या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या विवाद उठाया गया हो। गारंटर बैंक गारंटी को तुरंत लागू करने के लिए एमएचआई/पीएमए की लिखित मांग का सम्मान करेगा । वर्तमान गारंटी को लागू करने के लिए एमएचआई/पीएमए द्वारा गारंटर को किसी भी प्रारूप में लिखित मांग की जा सकती है;

X. यह गारंटी किसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर, जो स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक के दायित्वों के संबंध में एमएचआई/पीएमए द्वारा अब या भविष्य में रखी जा सकती है;

इस गारंटी के संदर्भ में सभी भावी पत्राचार ..... (बैंक का नाम और पता) को किया जाएगा ।

इस गारंटी के संबंध में न्याय क्षेत्र नई दिल्ली स्थित न्यायालय का होगा और भारतीय कानून लागू होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, गारंटर ने उपरोलिखित दिन, माह और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

_____ बैंक द्वारा अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित एवं वितरित।

अनुलग्नक-: बैंक गारंटी प्रदान करने हेतु वचनबद्धता

(आवेदक के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

1. हम, …….. ('अनुमोदित आवेदक') जिनका सीआईएन नंबर ……., पैन नंबर …….. और पंजीकृत कार्यालय …….. है, एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई या 'स्कीम') के तहत हमें जो लाभ प्रदान किया जाएगा/प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 के एसओ संख्या 1363 (ई) और समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों और सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित होगा और उस पर भरोसा करने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

2. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है तथा कोई भी ऐसा तथ्य/सूचना नहीं छिपाई गई है, जिसका उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

3. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि स्कीम में प्रतिबद्ध निवेश और घरेलू मूल्य संवर्धन की उपलब्धि, जैसा भी लागू हो, हम निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त कर लेंगे ।

4. हम योजना से स्पष्ट रूप से समझते हैं कि निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में हमारी बैंक गारंटी को आह्वान किया जा सकता है:

   (a) आवेदन अनुमोदन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम ₹4,150 करोड़ का निवेश;

   (b) आवेदन अनुमोदन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के भीतर सुविधा में निर्मित इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के लिए न्यूनतम 25% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना;

   (c) आवेदन अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कुल निवेश छोड़े गए शुल्क या 500 मिलियन अमरीकी डॉलर, जो भी अधिक हो, उससे काम नहीं होना चाहिए;

   (d) आवेदन अनुमोदन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के भीतर सुविधा में निर्मित इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना।

   (e) वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 15 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमा शुल्क में निर्धारित आयात की शर्तों का अनुपालन करना ।

   (f) स्कीम के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार जुर्माने का भुगतान।

   (g) इस स्कीम के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।

   इसके अतिरिक्त, सरकार को धोखा देने की मंशा से की गई कोई भी गलत बयानबाजी, गलत सूचना, मिथ्याकरण भी बैंक गारंटी के आह्वान का आधार होगा।

5. हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि हमारी ओर से किए गए किसी भी उल्लंघन (ऊपर निर्दिष्ट) के परिणामस्वरूप भारत सरकार को कम से कम बैंक गारंटी के तहत गारंटीकृत राशि के बराबर हानि होगी।

6. ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से एमएचआई/पीएमए द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान की स्थिति में, हम सहमत हैं कि इससे हमें कोई अपूरणीय हानि या अन्याय नहीं होगा, और हम वर्तमान मामले में अपने पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं मांगेंगे।

7. उपर्युक्त लेनदेन के संबंध में, हम निम्नलिखित दायित्व स्वीकार करते हैं:

   a. हम नीचे उल्लिखित राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करने का वचन देते हैं:

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा
1.	आवेदन स्वीकृति तिथि	
2.	बीजी की वैधता अवधि	तक _____

3.	दावा अवधि	तक _____
4.	प्रतिबद्ध निवेश	
5.	बीजी का मूल्य	₹ _____

b. मूल बैंक गारंटी (एमएचआई/पीएमए के पक्ष, पीएमए में रखी गई) के संबंध में हानि, क्षति, अपरिहार्य कारण या किसी अन्य घटना के मामले में, एमएचआई/पीएमए इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा और मूल बैंक गारंटी के स्थान पर वैकल्पिक/डुप्लिकेट बैंक गारंटी की व्यवस्था करने का दायित्व हमारा होगा।

c. स्कीम और उसके दिशानिर्देशों की सभी शर्तों को पूरा करने पर बैंक गारंटी *हमें जारी कर दी जाएगी।*

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम तथा पता:

तारीख:

स्थान :

अनुलग्नक-III: एफडीआई नीति के अनुपालन हेतु वचनबद्धता

(आवेदक के पत्र शीर्ष पर)

1. हम, _____ [आवेदक का नाम], एतद्वारा घोषणा करते हैं और वचन देते हैं कि हमने भारत सरकार द्वारा निर्धारित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति 2020 को समय-समय पर जारी सभी संशोधनों के साथ पढ़ और समझ लिया है।

2. हम भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के तहत किए गए/किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश पर प्रतिबंध सहित उपर्युक्त एफडीआई नीति के सभी प्रावधानों का पालन करने का वचन देते हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम व पदनाम, पता सहित)

अनुलग्नक-IV: वैश्विक समूह राजस्व और समूह कंपनियों के लिए वैश्विक निवेश के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र

(आवेदक एवं उसकी प्रत्येक समूह कंपनी के स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... ('आवेदक') जिसका सीआईएन नंबर ....., पैन/कर पहचान संख्या ..... है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर स्थित है, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को जारी एसओ 1363(ई) के तहत अधिसूचित भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के अंतर्गत आवेदन करने का प्रस्ताव कर रहा है।

2. हम _____ (स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम) आवेदक और उसकी समूह कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि करते हैं जिनकी साख को स्कीम के तहत पात्रता के उद्देश्य से विचार में लिया गया है:

कंपनी का नाम	**पंजीकृत (पता)**	**इसके निगमन का देश**	**संस्थापन की तारीख**	**पंजीकरण संख्या।**	**आवेदक के साथ संबंध**	**___ से ___ तक की अवधि के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर ऑटोमोटिव उत्पादन से राजस्व**	**____ तक के नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में निवेश**

3. उपर्युक्त समूह कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रतियां, साथ ही प्रत्येक समूह कंपनी के स्वतंत्र/सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र **परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।**

हस्ताक्षर और मुहर

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

(फर्म का नाम एवं पता)

एफआरएन/ सदस्यता संख्या

अनुलग्नक-वीए: आवेदक (भारत में पंजीकृत उसकी समूह कंपनियों सहित) के लिए कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र, जो डिफॉल्टर/दिवालिया/ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र है।

(आवेदक और भारत में पंजीकृत उसकी प्रत्येक समूह कंपनी के लिए प्रस्तुत किया जाना है, जिनकी योग्यता को पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है)

सेवा में,

तारीख :

आईएफसीआई लिमिटेड,

एसपीएमईपीसीआई के लिए पीएमए,

आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019

संदर्भ:

1. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई या स्कीम) जैसा कि एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे दिनांक 15 मार्च 2024 की एसओ संख्या ..... द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित स्कीम दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाए।

2. एसपीएमईपीसीआई के अंतर्गत आवेदन के अनुमोदन हेतु दिनांक ..... का अनुमोदन पत्र संख्या .....

विषय: **..... लिमिटेड के लिए प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

1. दिनांक/माह/ वर्ष से दिनांक/माह/ वर्ष तक की अवधि के लिए , यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ लिमिटेड (कंपनी) जिसका सीआईएन/पंजीकरण संख्या _____ है, ने _____ पर स्थित अपनी इकाइयों में _____ **<**पात्र उत्पाद**>** के विनिर्माण के लिए कानून द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी सहित सभी अपेक्षित विनियामक और वैधानिक मंजूरी, अनुमोदन, लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं/प्राप्त कर लेगी । **<** कृपया वे सभी इकाइयां शामिल करें जिनके निवेश का दावा स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है**>**।

2. जिन अवधियों के लिए लाभ का दावा किया जा रहा है, उन दौरान ये मंजूरियाँ उपलब्ध और वैध थीं।

3. मैं पुष्टि करता हूं कि _____ (कंपनी या समूह कंपनी जिसके लिए यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है) खातों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (**एनपीए) घोषित नहीं किया गया है या** आरबीआई / सिबिल के अनुसार **डिफॉल्टर** या विलफुल डिफॉल्टर नहीं है या **सेबी की प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं है या किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि द्वारा धोखाधड़ी** के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया है । इसके अलावा, कंपनी के खिलाफ कोई **दिवालियापन या दिवालियापन कार्यवाही लंबित नहीं है।**

4. यदि योजना की अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित किसी भी कथन/पुष्टिकरण की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो हम तुरंत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को सूचित करेंगे।

5. आवेदक की नवीनतम सिबिल रिपोर्ट संलग्न है।

<कृपया पूर्ण विवरण और वर्तमान स्थिति बताएं, यदि उपरोक्त पैरा 2 या 3 में किसी घोषणा के प्रति उत्तर विरोधाभासी है।>

मेसर्स _____ लिमिटेड के लिए

<यहां हस्ताक्षर करें >

(नाम)

कंपनी सचिव

जगह:

संलग्न: कंपनी की नवीनतम सिबिल रिपोर्ट।

अनुलग्नक-VB: भारत के बाहर पंजीकृत/निगमित समूह कंपनियों के लिए कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र, जो डिफॉल्टर/दिवालिया/ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र है।

(भारत के बाहर पंजीकृत/निगमित प्रत्येक समूह कंपनी के लिए प्रस्तुत किया जाना है, जिनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए साख पर विचार किया गया है)

सेवा में,

तारीख:

आईएफसीआई लिमिटेड,

एसपीएमईपीसीआई के लिए पीएमए,

आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019

संदर्भ:

1. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई या योजना) जैसा कि एसओ संख्या 1363 (ई) दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे दिनांक 15 मार्च 2024 की एसओ संख्या ..... द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित स्कीम दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाए।
2. एसपीएमईपीसीआई के तहत आवेदन के अनुमोदन के लिए _____ लिमिटेड को दिनांक ..... को अनुमोदन पत्र संख्या ..... जारी किया गया।

विषय: **..... लिमिटेड के लिए प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

1. दिनांक/माह/ वर्ष से दिनांक/माह/ वर्ष तक की अवधि के लिए लाभ के संबंध में , यह निम्नलिखित को प्रमाणित किया जाता है:
2. मैं पुष्टि करता हूं कि _____ (भारत के बाहर पंजीकृत समूह कंपनी) किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा डिफॉल्टर या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई है, और न ही धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट की

गई है और न ही इसे किसी प्रतिभूति या वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, _____ (विदेशी समूह कंपनी) के विरुद्ध कोई दिवालियापन या दिवालियापन कार्यवाही लंबित नहीं है।

3. यदि स्कीम की अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित किसी भी कथन/पुष्टिकरण की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो हम तुरंत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को सूचित करेंगे।

<यदि उपरोक्त किसी घोषणा पर प्रतिक्रिया विरोधाभासी है तो कृपया पूर्ण विवरण और वर्तमान स्थिति बताएं।>

_____ लिमिटेड के लिए

<यहां हस्ताक्षर करें >

(नाम)

कंपनी सचिव

जगह:

अनुलग्नक-VI: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति के लिए बोर्ड के प्रस्ताव का प्रारूप

(_____ लिमिटेड (कंपनी/आवेदक) के निदेशक मंडल द्वारा _____ (तारीख) को ____(समय) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय _____ (पता) पर आयोजित बैठक में पारित संकल्प का अंश।)

अध्यक्ष ने बोर्ड को सूचित किया कि कंपनी दिनांक 15.03.2024 को एसओ 1363 (ई) द्वारा अधिसूचित एसपीएमईपीसीआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक यात्री कारों के आयात पर कम सीमा शुल्क लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है, और एसपीएमईपीसीआई स्कीम और इसके परिचालन दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है।

एमएचआई द्वारा जारी एसपीएमईपीसीआई स्कीम और इसके दिशानिर्देशों की प्रतियां बोर्ड के समक्ष वितरित/प्रस्तुत की गई।

बोर्ड ने इस मामले पर चर्चा की और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एसपीएमईपीसीआई स्कीम और उसके दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर एमएचआई द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज़ों में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए निदेशक मंडल की सहमति प्रदान की जाती है, जैसा कि एसपीएमईपीसीआई स्कीम के संबंध में आवश्यक है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बोर्ड श्री/सुश्री _____, _____ और _____ (नाम और पदनाम) को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है :

- हमारी ओर से सभी संबंधित डेटा, दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति आदि और कोई भी अन्य जानकारी प्रस्तुत करना,
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) होने के नाते एमएचआई/आईएफसीआई के साथ प्रतिनिधित्व करना, वचनबद्धता देना और पत्राचार करना,
- पात्र उत्पाद(ओं) के आयात और विनिर्माण डेटा के निर्धारण तथा एसपीएमईपीसीआई स्कीम से संबंधित किसी भी अन्य पहलू के संबंध में सही और पूर्ण डेटा, दस्तावेज, प्रमाण पत्र और जानकारी प्रस्तुत करना।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि

• श्री/सुश्री _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं) द्वारा प्रस्तुत या प्रदान किया गया कोई भी डेटा, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, सूचना और क्षतिपूर्ति, उनके बयानों और स्पष्टीकरणों सहित, मेसर्स _____ लिमिटेड पर बाध्यकारी होंगे।"

• वह संबंधित कार्यों से जुड़ी सभी संचार प्रक्रियाएँ व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने, जारी करने और उन पर कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्ताव की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पीएमए/एमएचआई को उनके रिकार्ड के लिए उपलब्ध कराई जाए।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

_____ (कंपनी/आवेदक) के लिए

(_____)

निदेशक/कंपनी सचिव

डीआईएन:

(पता)

तारीख:

स्थान :

संलग्नक-VII: वार्षिक आयात आवेदन .....से .....तक की अवधि के लिए

अनुमोदित आवेदक को पहले वर्ष के लिए आवेदन अनुमोदन तिथि से 30 दिनों के भीतर और प्रत्येक आगामी वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 60 दिन पहले निम्नलिखित जानकारी (स्व-प्रमाणित) प्रदान करनी होगी:

1. **आवेदक का ब्यौरा**	
1.1 आवेदक का नाम	
1.2 आवेदन संख्या (स्कीम के अंतर्गत आवेदन करते समय निर्दिष्ट)	
1.3 आवेदन स्वीकृति तिथि	
1.4 आवेदक का नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न	
1.5 समूह कंपनियों का नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न, यदि इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता के लिए विचार किया जाता है	
1.6 आवेदक का आयातक निर्यातक कोड (प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है)	
1.7 विनिर्माण स्थान/स्थानों – पूरा पता, शहर, राज्य, पिन कोड सहित	
1.8 स्थापित वार्षिक क्षमता की परिकल्पना (यात्री कारों की संख्या में)	
1.9 जीएसटी पंजीकरण संख्या (प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है)	
1.10 प्रतिबद्ध निवेश (राशि ₹ में)	

2. **आवेदक की स्थिति आरबीआई डिफॉल्टर, सेबी विवर्जित, काली सूची ***	
2.1 क्या आवेदक आरबीआई डिफॉल्टर सूची में है?	हां/नहीं
2.2 क्या आवेदक को दिवालियापन कार्यवाही के लिए स्वीकृत किया गया है	हां/नहीं
2.3 क्या आवेदक जानबूझकर डिफॉल्टर सूची में है	हां नहीं
2.4 क्या आवेदक सेबी की विवर्जित सूची में है?	हां/नहीं
2.5 क्या आवेदक को सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में डाला गया है / सरकारी निकाय/ भारत या विश्व स्तर पर सरकारी प्राधिकरण	हां/नहीं

**** दिशानिर्देशों के संलग्नक-Vक और Vख में निर्धारित प्रारूप में एक उपक्रम के साथ नवीनतम सीआईबीआईएल रिपोर्ट (आवेदन जमा करने की तारीख से 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं) अपलोड करना आवश्यक है।***

3. निवेश ब्यौरा	
3 (क) पात्र उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध निवेश (राशि ₹ में):	

3 (ख): आवेदन स्वीकृति तिथि से ____ तक पात्र उत्पाद के विनिर्माण के लिए किया गया निवेश (राशि ₹ में):

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
क्र.सं.	**निवेश उप-शीर्ष**	**जारी किए गए क्रय आदेशों की राशि (₹ में) प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए**	**भुगतान की गई राशि (₹ में)**	**पूंजीकृत राशि (₹ में)**
क.	मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं का निर्माण			
ख.	संयंत्र, मशीनरी और उपकरण			
ग.	उपकरण, डाइज़, मोल्ड्स, जिग्स, फिक्सचर (आपूर्तिकर्ता के स्थान पर)			
घ.	सहयोगी उपयोगिताएँ			
ङ.	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना			
च.	इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास (इन-हाउस)			
	कुल			

चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा

4 क. आवेदन स्वीकृति तिथि से ____ तक परित्यक्त शुल्क और आयातित वाहनों का ब्यौरा (राशि ₹ में):

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वर्ष	**वर्ष का परित्यक्त शुल्क (₹ में)**	**परित्यक्त संचयी शुल्क (₹ में)**	**वर्ष में आयात किये जाने हेतु प्रस्तावित वाहन (संख्या में)**	**वर्ष में वास्तविक आयातित वाहन (संख्या में)**	**कुल आयातित वाहन (संख्या में)**	**वर्ष में बेचे गए वाहन (संख्या में)**
वर्ष 1						
वर्ष 2						
वर्ष 3						
वर्ष 4						
वर्ष 5						
कुल		-			-	

4ख. स्कीम अवधि के दौरान परित्यक्त कुल शुल्क

1	स्कीम अवधि के दौरान परित्यक्त कुल शुल्क (₹ में)	
2	पहले से प्राप्त परित्यक्त संचयी शुल्क (₹ में)	
3	शेष राशि (₹ में) [2 – 1]	

5. स्कीम के अंतर्गत आयात पर पिछला डेटा

(प्रत्येक प्रविष्टि बिल के अंतर्गत प्रत्येक मॉडल/प्रकारान्तर के लिए भरे जाने वाला ब्यौरा)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
क्र.सं.	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	वाहनों की संख्या	उद्गम देश	उद्गम बंदरगाह	गंतव्य बंदरगाह	लैडिंग बिल संख्या (प्रति संलग्न करें)	शिपमेंट की तारीख	प्रविष्टि बिल संख्या(प्रति संलग्न करें)	प्रविष्टि बिल तिथि	प्रत्येक मॉडल का सीआईफ मूल्य (यूएसडी में)	प्रत्येक प्रविष्टि बिल के लिए यूएसडी में कुल सीआईएफ मूल्य	प्रत्येक प्रविष्टि बिल के लिए कुल सीआईएफ मूल्य **आईएनआर** में	प्रत्येक प्रविष्टि में प्रत्येक मॉडल के लिए छोड़ा गया शुल्क (भारतीय रुपये में)

** मूल उपकरण विनिर्माता का नाम को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

पिछले वर्ष के दौरान किए गए आयातों के समर्थन में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (डेटा को सीमा शुल्क विभाग से सत्यापित किया जाना है)

(a) मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा जारी वाणिज्यिक चालान

(b) पैकिंग सूची
(c) लैडिंग बिल
(d) प्रविष्टि बिल
(e) बीमा पॉलिसी की प्रति / प्रमाणपत्र
(f) उदगम प्रमाण पत्र
(g) लॉयड्स या समकक्ष वर्गीकरण एजेंसी द्वारा जारी समुद्री जहाज द्वारा शिपमेंट के संबंध में प्रमाणपत्र
(h) प्रतिष्ठित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र
(i) विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रपत्र (फॉर्म ए-1)
(j) भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी निकासी प्रमाणपत्र।
(k) आपूर्तिकर्ता मूल उपकरण विनिर्माता को आवेदक की समूह कंपनी मानने का औचित्य

6. अगले वर्ष के लिए स्कीम के अंतर्गत आयात की प्रस्तावित योजना
(संशोधन आवेदन के अलावा केवल वार्षिक आयात आवेदन के लिए भरा जाना चाहिए)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
क्र.सं.	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	वाहनों की संख्या	उद्गम देश	उद्गम बंदरगाह	गंतव्य बंदरगाह	प्रत्येक मॉडल का **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	प्रति वाहन छूट का प्रस्तावित शुल्क(भारतीय रुपये में)	(सीआईएफ मूल्य x मात्रा)(4 x 8)प्रत्येक मॉडल के लिए(यूएसडी में)	प्रत्येक मॉडल के लिए प्रस्तावित शुल्क छूट(4 x 9)(भारतीय रुपये में)

** मूल उपकरण विनिर्माता को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

दिशा-निर्देशों के संलग्नक-IX में निर्धारित प्रारूप में सत्यनिष्ठा समझौता अनुपालन वचनबद्धता को आयात आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

7. मध्यावधि संशोधन हेतु डेटा (आवेदक द्वारा आयात आवेदन के मध्यावधि संशोधन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रस्तुत किया जाना है)

7. (क) आवेदन की तिथि से अब तक की अवधि के दौरान किए गए आयातों का ब्यौरा

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
क्र.सं.	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	आवेदन के समय अनुमानित प्रत्येक मॉडल का **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	आयातित प्रत्येक मॉडल का वास्तविक **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	आवेदन के समय आयातित होने वाले अनुमानित वाहनों की संख्या	इस अवधि के दौरान अब तक आयातित वाहनों की वास्तविक संख्या	आवेदन के समय अनुमानित आयात का कुल मूल्य (यूएसडी में)	अवधि के दौरान आयात का वास्तविक मूल्य (यूएसडी में)	आवेदन के समय अनुमानित परित्यक्त शुल्क (भारतीय रुपये में)	अवधि के दौरान वास्तविक रूप से छोड़ा गया शुल्क (भारतीय रुपये में) [प्रविष्टि बिल के अनुसार विनिमय दर]	शेष अवधि के दौरान आयात किये जा सकने वाले वाहनों की शेष संख्या (संख्या में)	अवधि के लिए शेष शुल्क लाभ (भारतीय रुपये में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)= (घ)*(च)	(झ) = (ङ*छ)	(ञ)	(ट)	(ठ)=(च)-(छ)	(ड)= (ञ)- (ट)

		कुल										

** मूल उपकरण विनिर्माता को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

7. (ख) संगत वर्ष की शेष अवधि के लिए संशोधित अनुमान जिसके लिए आयात प्रमाणपत्र पुनः जारी करने का अनुरोध किया गया है:

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
क्र.सं.	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	वाहनों की संख्या	उद्गम देश	उद्गम बंदरगाह	गंतव्य बंदरगाह	प्रत्येक मॉडल का **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	प्रति वाहन छूट का प्रस्तावित शुल्क(भारतीय रुपये में)	(सीआईएफ मूल्य x मात्रा)(4 x 8)प्रत्येक मॉडल के लिए (यूएसडी में)	प्रत्येक मॉडल के लिए प्रस्तावित शुल्क छूट **(4 x 9)** (भारतीय रुपये में)

** मूल उपकरण विनिर्माता को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

8. उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित आंकड़े (व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे)

क्र.सं.	मॉडल का नाम	निर्मित वाहनों की संख्या (संख्या में)	बेचे गए वाहनों की संख्या (संख्या में)	प्रति वाहन औसत बिक्री मूल्य (₹)	बिक्री राजस्व (₹)*	मॉडल का **घरेलू मूल्यवर्धन** % #
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च) = (घ) X (ङ)	

* सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी से प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. आवेदन स्वीकृति तिथि से लेकर आज तक भारत में रोजगार सृजन से संबंधित आंकड़े

ब्यौरा	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**
नियमित कर्मचारी					
संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी					
शिक्षुओं					
कुल					

संलग्नक-VIII: व्यापार/ परियोजना योजना

आवेदक को भारत में पात्र उत्पाद की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए व्यवसाय/परियोजना योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यवसाय/परियोजना योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

1. भारत में स्थापित की जाने वाली विनिर्माण सुविधाओं का प्रस्तावित स्थान, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या परियोजना नई है/ब्राउनफील्ड (विस्तार) है
2. यदि कोई हो तो साध्यता अध्ययन / तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन का विवरण
3. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों की स्थापित क्षमता स्थापित की जाएगी, साथ ही निर्मित की जाने वाली कारों की संभावित विशिष्टताएं भी निर्धारित की जाएंगी।
4. प्रतिबद्ध निवेश
5. प्रस्तावित निवेश का वर्षवार ब्यौरा (उप-शीर्षवार)
6. संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न लाइसेंस, परमिट और विनियामक एवं वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने की योजना
7. कच्चे माल और घटकों के प्रापण के लिए प्रस्तावित योजना
8. उपयोग/विकसित की जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा
9. संयंत्र की स्थापना के लिए विस्तृत कार्यान्वयन कार्यक्रम
10. निर्मित की जाने वाली इलेक्ट्रिक यात्री कारों का वर्षवार ब्यौरा तथा क्षमता उपयोग का ब्यौरा
11. लक्षित ग्राहक वर्ग को ध्यान में रखकर प्रस्तावित
12. घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात के लिए प्रस्तावित विपणन व्यवस्था
13. कुल परियोजना लागत और वित्त के साधन
14. राजस्व, लाभप्रदता का वर्षवार अनुमान
15. वर्षवार अनुमानित बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह
16. प्रस्तावित घरेलू मूल्य संवर्धन
17. भारत में अपेक्षित रोजगार सृजन

संलग्नक-IX: **.....समाप्त तिमाही के लिए तिमाही** समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर)

अनुमोदित आवेदक को प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर तिमाही समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी (स्व-प्रमाणित) प्रदान करना आवश्यक होगा:

1. **आवेदक का ब्यौरा**

आवेदक का नाम	
आवेदन संख्या (स्कीम के अंतर्गत आवेदन करते समय निर्दिष्ट)	
आवेदन स्वीकृति तिथि	
आवेदक का नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न	
समूह कंपनियों का नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न, यदि इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता के लिए विचार किया जाता है	
आवेदक का आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) (प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है)	
विनिर्माण स्थान/स्थानों – पूरा पता, शहर, राज्य, पिन कोड सहित	
स्थापित वार्षिक क्षमता की परिकल्पना (यात्री कारों की संख्या में)	
वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या (प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है)	
प्रतिबद्ध निवेश (राशि ₹ में)	

2. आरबीआई डिफॉल्टर, सेबी विवर्जित, आवेदक की ब्लैक लिस्टेड स्थिति*

आरबीआई डिफॉल्टर सूची में है	हां/नहीं
दिवालियापन कार्यवाही के लिए स्वीकार किया गया है	हां/नहीं
जानबूझकर डिफॉल्टर सूची में है	हां/नहीं
सेबी की विवर्जित सूची में है	हां/नहीं
भारत या विश्व स्तर पर किसी सरकारी संगठन/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण द्वारा काली सूची में डाला गया हो	हां/नहीं

3. प्रतिबद्ध निवेश (राशि ₹ में): _____

4. आवेदन स्वीकृति तिथि से ____ तक पात्र उत्पाद के विनिर्माण के लिए किया गया निवेश (राशि ₹ में):

क्र.सं.	**निवेश उप-शीर्ष**	**जारी किए गए क्रय आदेशों की राशि (₹ में) प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए**	**भुगतान की गई राशि (₹ में)**	**पूंजीकृत राशि (₹ में)**
1.	मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं का निर्माण			
2.	संयंत्र, मशीनरी और उपकरण			
3.	उपकरण, डाइज़, मोल्ड्स, जिग्स, फिक्सचर (आपूर्तिकर्ता के स्थान पर)			
4.	संबद्ध उपयोगिताएँ			

5.	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना			
6.	इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास (इन-हाउस)			
	कुल			

5. आवेदन स्वीकृति तिथि से ____ (तिमाही के अंत तक) तक परित्यक्त शुल्क और आयातित वाहनों का ब्यौरा:

तिमाही की शुरुआत से पहले परित्यक्त संचयी शुल्क (₹ में)	तिमाही के दौरान परित्यक्त शुल्क(₹ में)	तिमाही के अंत में संचयी परित्यक्त शुल्क (₹ में)	परित्यक्त शुल्क के लिए शेष सीमा	तिमाही के आरंभ तक कुल आयातित संचयी वाहन (संख्या में)	तिमाही में आयातित वाहन (संख्या में)	तिमाही के अंत तक कुल आयातित संचयी वाहन (संख्या में)	तिमाही के अंत तक बेचे गए संचयी वाहन (संख्या में)

6क. ___ तिमाही की शुरुआत तक पात्र उत्पाद(ओं) के विनिर्माण और बिक्री (व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रस्तुत किया जाना है) से संबंधित डेटा

क्र.सं.	मॉडल का नाम	निर्मित वाहनों की संचयी संख्या (संख्या में)	बेचे गए वाहनों की संचयी संख्या (संख्या में)	प्रति वाहन औसत बिक्री मूल्य (₹)	बिक्री राजस्व (₹)	मॉडल का **घरेलू मूलवर्धन** %
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च) = (घ) X (ङ)	

6ख. ___ तिमाही के दौरान पात्र उत्पाद(ओं) के विनिर्माण और बिक्री से संबंधित डेटा (व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रस्तुत किया जाना है)

क्र.सं.	मॉडल का नाम	तिमाही के दौरान निर्मित वाहनों की संख्या (संख्या में)	तिमाही के दौरान बेचे गए वाहनों की संख्या (संख्या में)	प्रति वाहन औसत बिक्री मूल्य (₹)	बिक्री राजस्व (₹)	मॉडल का **घरेलू मूलवर्धन** %
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च) = (घ) X (ङ)	

7. आवेदन स्वीकृति तिथि से लेकर आज तक भारत में रोजगार सृजन से संबंधित आंकड़े

ब्यौरा	**संचयी, तिमाही के आरंभ तक**	**तिमाही के दौरान**	**संचयी, तिमाही के अंत तक**
नियमित कर्मचारी			
संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी			
शिक्षुओं			
कुल			

8क. तिमाही के प्रारंभ तक स्कीम के अंतर्गत किए गए संचयी आयात

(प्रत्येक मॉडल/प्रकारांतर के लिए भरे जाने वाला ब्यौरा)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र.सं.	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	वाहनों की संख्या	उद्गम देश	उद्गम बंदरगाह	गंतव्य बंदरगाह	प्रत्येक मॉडल का औसत **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	कुल सीआईएफ मूल्य (यूएसडी में)	प्रत्येक मॉडल के लिए परित्यक्त शुल्क (भारतीय रुपये में)

** मूल उपकरण विनिर्माता को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

8ख. तिमाही के दौरान स्कीम के अंतर्गत किए गए आयात

(प्रत्येक मॉडल/प्रकारांतर के लिए भरे जाने वाला ब्यौरा)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र.सं	मूल उपकरण विनिर्माता का नाम*	मॉडल/ प्रकारान्तर का नाम	वाहनों की संख्या	उद्गम देश	उद्गम बंदरगाह	गंतव्य बंदरगाह	प्रत्येक मॉडल का औसत **सीआईएफ** मूल्य (**यूएसडी** में)	कुल सीआईएफ मूल्य (यूएसडी में)	प्रत्येक मॉडल के लिए परित्यक्त शुल्क (भारतीय रुपये में)

** मूल उपकरण विनिर्माता को केवल समूह कंपनी ही माना जाना चाहिए। इसे समूह कंपनी मानने के लिए तर्क दिया जाना चाहिए।*

संलग्नक-X: विनिर्माण स्थल और आयात के लेखापरीक्षा के लिए सहमति ली गई

(आवेदक के पत्रशीर्ष पर)

1. जबकि, आवेदक अर्थात् ....., जिसका सीआईएन नंबर ....., पैन नंबर ..... है और पंजीकृत कार्यालय ..... है, ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के तहत भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और पात्र उत्पाद के आयात के लिए कम सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. अब, इसलिए, आवेदक विनिर्माण सुविधा सेटअप और स्कीम के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पीएमए या परीक्षण एजेंसी (एजेंसियों) या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी/सलाहकार को अनुमति देगा।

3. यदि आवेदक के किसी आपूर्तिकर्ता का लेखापरीक्षा/निरीक्षण अपेक्षित हो तो आवेदक को इसकी सुविधा प्रदान करनी होगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

(नाम एवं पदनाम)

संलग्नक-XI: आवेदक द्वारा सत्यनिष्ठा अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

(आवेदक के पत्रशीर्ष पर)

1. जबकि, आवेदक अर्थात मेसर्स ..... जिसका सीआईएन नंबर ....., पैन नंबर ..... है और पंजीकृत कार्यालय ..... है, ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम ('एसपीएमईपीसीआई') के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ('एमएचआई'), भारत सरकार को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ..... (स्थान) पर पात्र उत्पाद के आयात के लिए कम सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अब, इसलिए, आवेदक अपने अधिकारियों/प्रतिनिधियों सहित यह वचनबद्धता व्यक्त करता है कि वे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। वे स्कीम के अंतर्गत आवेदन के अनुमोदन के लिए मूल्यांकन और सत्यापन की प्रक्रिया से जुड़े भारी उद्योग मंत्रालय या इसकी एजेंसियों या इसके परामर्शदाताओं के साथ अपने साहचर्य/संलग्नता के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2.1 आवेदक सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, आवेदन से निपटने की प्रक्रिया में शामिल भारी उद्योग मंत्रालय के किसी भी अधिकारी या सलाहकार या एजेंसी के प्रतिनिधि (आवेदन को संभालने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त मूल्यनिरूपण या/और सत्यापन एजेंसी) या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी भौतिक या अन्य लाभ देने की पेशकश, वचन या पेशकश नहीं करेगा, जिसके लिए वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, ताकि स्कीम के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान या बाद में किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

2.2 आवेदक प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा; इसके अलावा, आवेदक प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को दूसरों को नहीं देगा।

2.3 आवेदक को विधिवत् प्राधिकृत एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा जो भारी उद्योग मंत्रालय या इसकी एजेंसियों के साथ काम करेंगे और इन एजेंटों या प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक में अनुचित तरीके से काम करवाने के लिए कोई छिपी हुई राशि या घटक शामिल नहीं होगा या काम की सामान्य प्रक्रिया या अभ्यास को प्रभावित करने के लिए नकद या वस्तु के रूप में किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।

2.4 आवेदक को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अपने द्वारा एजेंटों, दलालों या आवेदक के नियमित कर्मचारियों या अधिकारियों के अलावा किसी अन्य मध्यस्थ को किए गए, किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा।

2.5 आवेदक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कोई रिश्वत नहीं देगा।

2.6 आवेदक पारदर्शिता और निष्पक्षता को ख़राब करने के लिए अन्य पक्षों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा।

2.7 आवेदक किसी भी व्यक्ति को गैर-पेशेवर व्यवहार के बदले में कोई लाभ नहीं देगा।

3. आवेदक यह घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण का पालन करने वाली किसी भी देश की किसी भी अन्य कंपनी या भारत में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/केंद्रीय या राज्य सरकार या उसके किसी भी उपकरण के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है।

4. आवेदक इस बात से सहमत है कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने इस विषय पर कोई गलत बयान दिया है, तो आवेदन बंद या अस्वीकार कर दिया जाएगा और भारी उद्योग मंत्रालय किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि आवेदक ने स्कीम के तहत शुल्क लाभ उठाया है, तो परित्यक्त शुल्क की वसूली 3 साल के एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ

फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) पर गणना करके की जाएगी, जो लाभ प्राप्त करने की तिथियों पर लागू होगी, जो वार्षिक चक्रवृद्धि आधारित होगी, इसके अलावा आवेदक को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भारी उद्योग मंत्रालय के विवेक पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उपरोक्त वचनपत्र की विषय-वस्तु का अध्ययन कर लिया गया है तथा उसे समझने के पश्चात् उसे ..... तारीख (माह/वर्ष) को निष्पादित/दिया जा रहा है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम पता सहित)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2025

S.O. 2450(E).—Guidelines for the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI)

1. Background

1.1. The Government of India vide notification S.O. No. 1363(E) dated 15th March 2024 has notified the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passengers Cars in India (herein referred to as "SPMEPCI" or "the Scheme") to attract investments from global electric passenger car manufacturers, generate employment opportunities, achieve the goal of "Make in India" and promote India as a manufacturing destination for electric passenger cars.

1.2. Department of Revenue, Ministry of Finance, also issued notifications nos. 19/2024-Customs & 20/2024-Customs dated 15th March 2024 for reduced import duties in line with the provisions of the Scheme.

1.3 In pursuance of paragraph 12.4 of the Scheme and for effective and smooth implementation of the Scheme, the following guidelines are being laid down supplementary to the provisions specified in the Scheme. Efforts have been made to ensure that these guidelines are aligned with the provisions of the Scheme. However, in the event of any inconsistency, the provisions of the Scheme notification shall prevail.

2. Definitions

This section defines terms used in the guidelines of the Scheme in addition to the terms already defined therein:

2.1. **Application Form:** It is the form required to be filed by the Applicant along with uploading of supporting documents on the online portal of MHI. The format of Application Form is provided in **Annexure-I** for reference purpose. A hard copy of the application along with all annexures will also be submitted to MHI. In case of any discrepancy between the information submitted online and the hard copy, the information submitted online shall prevail while evaluating eligibility under the Scheme.

2.2. **Chartered Engineer:** Engineers having corporate membership of the Institute of Engineers (India) and having Chartered Engineer (India) certificate issued by the Institution of Engineers (India) and empanelled with the PMA.

2.3. **Committed Investment:** The total investment committed to be made by an Applicant under the Scheme, at the time of submitting the Application. The committed investment should be a minimum of ₹ 4,150 crore.

Provided further that there is no bar on the Applicant from making investment beyond the minimum committed investment. However, the total duty to be foregone shall be limited to lower of ₹ 6,484 crore or the Investment made under this Scheme.

2.4. **Date of Commencement of Operations:** The date of commencement of operations shall be reckoned from the date of first commercial sale invoice of the Eligible Product manufactured from the Investment made under the Scheme.

2.5. **Duty Foregone:** It is the financial benefit to the Approved Applicant on account of import of e-4W made during the tenure of the Scheme as the difference of:

(a) Amount of Customs duty (including basic customs duty, integrated goods and services tax (IGST), social welfare surcharge (SWS) or any other customs duty, if applicable) as applicable on the import of CBUs

of electric passenger cars under the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and section 110 of the Finance Act, 2018 as amended from time to time and;

(b) Amount of Customs duty as per para 2.5.(a) above , reduced *after taking effect of Notification No. 19/2024- Customs and Notification No. 20/2024- Customs dated 15th March 2024*.

Illustrative examples for calculating Duty Foregone are provided at para 2.8.

2.6. **Electric Passenger Car/Vehicle (e-4W):** shall refer to category M-1 Battery Operated Vehicle (BOV), as defined under clause 2(l) and 2(u) of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

2.7. **E-4W permitted for import:** means electric passenger cars manufactured by global Group Companies which are proposed to be imported by the Approved Applicant and approved for sale in India as per relevant statutory regulations.

2.8. **Maximum number of E-4W permitted for import:** The maximum number of EVs to be imported under this Scheme shall be such that the Total Duty Foregone will be limited to the lower of the following:

a. The maximum duty foregone per applicant (limited to ₹ 6,484 crore), or

b. Committed Investment of the Applicant (in ₹ crore)

The maximum number of E-4W permitted for import shall vary according to the CIF value of e-4W to be imported, exchange rate of USD, Committed Investment of the Applicant and applicable Customs duty, etc. Following are illustrative examples:

Example 1:

(a) Committed Investment: ₹ 4,150 crore

(b) CIF Value of e-4W: USD 35,000

(c) Exchange rate (1 USD): ₹ 85

(d) Duty Foregone per electric passenger car:

Table 1: Duty foregone & maximum number of e-4W permitted for import

Particulars	**Reference**	**Scenario-1 (S1)**	**Scenario-2 (S2)**
		Duty applicable without taking benefit of the Scheme	**Duty applicable after taking benefit of the Scheme**
Assessable value (CIF Value) (in ₹)	A	29,75,000	29,75,000
Basic customs duty	B = A x 70% (for S1), B = A x 15% (for S2)	20,82,500	4,46,250
SWS*	C	0	0
IGST @ 5%	D = (A+B+C) x 5%	2,52,875	1,71,063
Landed Cost	**E = sum(A:D)**	**53,10,375**	**35,92,313**
Duty Foregone per e-4W imported under the Scheme (in ₹)	**E (S1) – E (S2)**	**17,18,062**	

*Exempted vide Notification No. 11/2018-cus dated 2 February 2018

(e) Maximum number of e-4W allowed for import during the Scheme:

₹ 4,150 crore / ₹ 17,18,062 = 24,155 Nos.

Example 2:

(a) Committed Investment: ₹ 6,484 crore

(b) CIF Value of electric passenger car: USD 35,000

(c) Exchange rate (1 USD): ₹ 85

(d) Duty Foregone per electric passenger car:

Table 2: Duty foregone & maximum number of e-4W permitted for import

Particulars	Reference	Scenario-1 (S1)	Scenario-2 (S2)
		Duty applicable without taking benefit of the Scheme	Duty applicable after taking benefit of the Scheme
Assessable value (CIF Value) (in ₹)	A	29,75,000	29,75,000
Basic customs duty	B = A x 70% (for S1), B = A x 15% (for S2)	20,82,500	4,46,250
SWS *	C	0	0
IGST @ 5%	D = (A+B+C) x 5%	2,52,875	1,71,063
Landed Cost	**E = sum(A:D)**	**53,10,375**	**35,92,313**
Duty Foregone per e-4W imported under the Scheme (in ₹)	**E (S1) – E (S2)**	**17,18,062**	

*Exempted vide Notification No. 11/2018-cus dated 2 February 2018

(e) Maximum number of e-4W allowed for import during the Scheme:

₹ 6,484 crore / ₹ 17,18,062 = 37,740 Nos.

Example 3:

(a) Committed Investment: ₹ 4,150 crore

(b) CIF Value of electric passenger car: USD 50,000

(c) Exchange rate (1 USD): ₹ 85

(d) Duty Foregone per electric passenger car:

Table 3: Duty foregone & maximum number of e-4W permitted for import

Particulars	Reference	Scenario-1 (S1)	Scenario-2 (S2)
		Duty applicable without taking benefit of the Scheme	Duty applicable after taking benefit of the Scheme
Assessable value (CIF value) (in ₹)	A	42,50,000	42,50,000
Basic customs duty	B = A x 100% (for S1), B = A x 15% (for S2)	42,50,000	6,37,500
SWS	C = B x 10% (for S1), C = B x 0* (for S2)	4,25,000	0
IGST @5%	D = (A+B+C) x 5%	4,46,250	2,44,375
Landed Cost	**E = sum(A:D)**	**93,71,250**	**51,31,875**
Duty Foregone per e-4W imported under the Scheme (in ₹)	**E (S1) – E (S2)**	**42,39,375**	

*Exempted vide Notification No. 11/2018-cus dated 2 February 2018

(e) Maximum number of e-4W allowed for import during the Scheme:

₹ 4,150 crore / ₹ 42,39,375 = 9,789 Nos.

2.9. **Independent Auditor/ Statutory Auditor**: An auditor as appointed under Section 139 read with Section 141 of the Companies Act, 2013. In case of joint auditor appointment in the company, any one of such joint Auditors shall be treated as Independent Auditor.

2.10. **Total Duty Foregone:** It is the cumulative Duty Forgone for import of e-4Ws under the Scheme, which shall be restricted to the lower of the following:

a) Committed Investment, or

₹ 6,484 crore

3. Investment

3.1. Investment made and capitalized in the books of accounts of the Approved Applicant on or after Application Approval Date will only be considered under the Scheme.

3.2. Invoice for Investment shall be issued in the name of the Approved Applicant only and no invoice for any expenditure, issued in the name of vendor/supplier(s), Group Company(ies) or related party(ies) or any other third party(ies) would be considered for ascertaining fulfilment of Committed Investment.

3.3. Investment should be made for domestic manufacturing of Eligible Product. In case the Investment under the Scheme is made on brownfield project, a clear physical demarcation with the existing manufacturing facility(ies) should be made.

3.4. The Investment to be made under the Scheme must be confined to the Approved Applicant's plant location only. However, charging infrastructure set up by the Approved Applicant can be located at various locations in India. Further, tools, dies, moulds, jigs & fixtures may be located at supplier's premises.

3.5. Following are the clarifications regarding investment in charging infrastructure and design (ER&D) :

3.5.1. Charging Infrastructure:

a) Charging infrastructure established must be compliant with Ministry of Power (MoP) guidelines issued vide No. 12/2/2018-EV dated 17th September 2024 on the subject "Guidelines for Installation and Operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure-2024" and as amended from time to time.

b) Investment for charging infrastructure under the Scheme would be eligible only to the extent attributable to earth embedded public charging stations made for e-4W having fast charging facility as defined under guidelines issued by Ministry of Power vide No. 12/2/2018-EV dated 17th September 2024 and as amended from time to time.

c) Expenditure incurred on charging infrastructure would be considered upto maximum 5% of the Committed Investment.

3.5.2. Engineering Research and Development (ER&D) (In House):

a) Expenditure on design shall include expenditure on in-house and captive Engineering Research and Development (ER&D) and product design & development related to the Eligible Product. The term "related" here refers to all stages in the entire value chain of the goods proposed to be manufactured including software integral to the functioning of the same.

b) This expenditure shall further include test and measuring instruments, prototypes used for testing, purchase of design tools, software cost (directly used for ER&D) & license fees, expenditure on technology & transfer of technology (ToT) agreements including the purchase of technology, IPR, Patents and copyrights for ER&D, subject to all relevant documents for the same being submitted to Project Management Agency (PMA)/MHI.

c) One-time cost of IPRs including know how, patents, copyrights, etc. shall only be considered for determining fulfillment of Committed Investment. It is hereby clarified that any such recurring expenditure by way of royalty, paid by whatever name called, shall not be considered as part of the Committed Investment.

d) Sub-contracting is not allowed for ER&D under the Scheme. However, the professional services of technical personnels could be availed for undertaking in-house ER&D which should be capitalized in the financial statements of the Approved Applicant.

e) In the case of ER&D, expenditure capitalized in the books of accounts shall only be considered for determining fulfillment of Committed Investment.

3.6. Following is the list of particulars which shall remain excluded from the Investment under the Scheme:

a) Land

b) Building other than of main plant and utilities

c) Royalty

d) Recurring expenses on IPRs including patents, know-how, copyrights, trademarks, etc.

e) Administrative/ hostel building/ staff quarters

f) Interest during construction (IDC), pre-operative and administrative expenses

g) Slump sale/ second hand machinery/ refurbished machinery

h) Creditable taxes and duties (such as GST) even if not availed in GST returns

i) Investments made under other PLI/ Incentive Schemes of Government of India

j) Revenue expenses

k) Leased Assets

l) Capital work in progress

3.7. For the purpose of determination of reasonableness and verification of Investment of the Approved Applicant, separate SOPs will be issued by MHI/PMA.

4. Eligibility criteria for the Applicant(s)

4.1. The Applicant shall meet the eligibility criteria as defined in para 4.1. of the Scheme and submit bank guarantee as provided in para 4.2. of the Scheme.

4.2. Bank Guarantee (BG): The Bank guarantee to be furnished should fulfil following criteria:

a) Bank Guarantee should be an unconditional, irrevocable Bank Guarantee issued from a scheduled commercial bank in India.

b) It should be submitted within 30 days from the Application Approval Date, having validity of at least 6 years at the time of submission.

c) The Bank Guarantee should be valid at all times during the tenure of the Scheme. The format of Bank Guarantee is as per **Annexure-II-A.** Further an undertaking in format as per **Annexure-II-B** is also to be furnished along with the BG.

4.3. Foreign (non-resident) investment in the Approved Applicant shall be in compliance with the FDI Policy 2020 as amended from time to time or the subsequent FDI policy issued thereafter, if any. The Applicant shall submit an Undertaking (format as per **Annexure-III**) that they are eligible under the said FDI Policy or as amended from time to time.

4.4. Revenue/ investment/ net worth of individual promoters of the Companies/ Group Companies will not be considered under the Global Group Revenue/ Global investment, respectively, for eligibility under the Scheme.

4.5. If the Global Group Revenue and Global investment of the Applicant (including Group Companies) is available in a currency other than Indian National Rupee (₹), the Indian currency equivalent amount may be computed by applying an average of the exchange rate notified by the Reserve Bank of India as on the first day and last day of the reporting period.

4.6. Revenue and global investment in gross block of fixed assets of Applicant and Group Companies whose figures have been considered for determining the eligibility are to be furnished on Statutory Auditor Certificate by the Applicant. The format of Statutory Auditor certificate of Global Group Revenue and Global investment for Group Companies is as provided in **Annexure-IV.**

4.7. The Applicant(s) whose accounts are considered Non-Performing Asset (NPA) as per RBI guidelines or defaulter or willful defaulter as per RBI/CIBIL or SEBI debarred list or reported as fraud by any bank, financial institution or non-banking financial company, would be considered as ineligible. Further, there should not be any insolvency proceedings admitted against the Applicant in the National Company Law Tribunal (NCLT).

4.8. The Group Companies whose financials are being considered for determining eligibility should also not have been declared defaulters. Further, a certificate from Company Secretary of the Applicant confirming that the Applicant and its Group Companies have not been declared as defaulter/ wilful defaulter/ reported as fraud by a bank, financial institution or non-banking financial company/ admitted for insolvency proceedings/ debarred by any securities or financial sector regulator, is to be furnished. The format of the certificate to be provided by Applicant and its Group Companies registered in India is as provided in **Annexure-V-A** and the format of certificate to be provided by Group Companies registered outside India is as provided in **Annexure-V-B.** Such certificate needs to be re-submitted annually and on every update in the status of the Applicant or its Group Companies in this regard.

5. Application Procedure

5.1. The Applicant is required to submit the Application Form along with financial & supporting documents**.** The application along with other supporting documents should be certified by the authorised representative of the Applicant who has been duly authorised by the Board of Directors of the Applicant. The format for obtaining approval of the Board of Directors is at **Annexure-VI**.

5.2. A non-refundable application fee ₹ 5,00,000/- will be payable by the Applicant at the time of filing the Application Form. The details of the bank account for remittance of the application fee and related terms & conditions shall be same as provided in the Application Form. The application fee would be accepted electronically only.

5.3. Applications will be liable for rejection at any stage, if it is found that incorrect information having a bearing on the selection of the Applicant was furnished in the Application.

5.4. Upon successful submission of an application, PMA will issue a unique Application ID to the applicant for all future references pertaining to the Scheme.

5.5. A hard copy of the application along with all annexures is also required to be submitted to MHI on or before the last date of submission. The hard copy shall be submitted to Director, MHI, Room no. 218, Udyog Bhawan, New Delhi – 110001.

5.6. After receiving approval from MHI, the PMA will arrange to issue a letter to the Approved Applicant within 5 working days, communicating approval under the Scheme.

6. Scheme Sanctioning Committee (SSC)

6.1. An inter-ministerial Scheme Sanctioning Committee chaired by Secretary, MHI will be constituted for sanctioning, overall monitoring and implementation of the Scheme as well as to remove any obstacles/ difficulties that may arise in the implementation stage. The Composition of the Committee will be as follows:

(a) Secretary, MHI (Chairman)

(b) CEO, NITI Aayog

(c) Secretary, Department of Revenue (DoR)

(d) Secretary, Department of Economic Affairs (DEA)

(e) Secretary, Ministry of Commerce & Industry (MoCI)

(f) Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

(g) Secretary, Ministry of Road, Transport & Highways (MoRTH)

(h) Secretary, Ministry of Power (MoP)

(i) Financial Advisor, MHI

(j) Director, ARAI

(k) Additional/Joint Secretary, MHI (Member Secretary)

The Committee may co-opt any other member as and when required.

7. Procedure to avail lower Customs duty benefit

7.1. Under the present Scheme, the Government of India shall, at the outset, provide to the Approved Applicant customs duty waiver to the extent of the Committed Investment or Rs. 6,484 crore, whichever is lower, in the manner set out herein.

7.2. As per Notification No. 19/2024 and 20/2024- Customs dated 15 March 2024, in order to avail duty benefit under the Scheme, the Approved Applicant is required to furnish a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in MHI to the effect that, -

(i) the importer holds a valid Approval Letter issued by the Ministry of Heavy Industries under the 'Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India' notified vide S.O. No. 1363 (E) dated 15th March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries;

(ii) the importer satisfies the conditions of the aforesaid scheme and the quantity of the vehicles being imported is within the limits prescribed in Para. 1.3.5 and para. 1.3.6 of the aforesaid Scheme; and

(iii) the importer is eligible for grant of this exemption in respect of the goods being imported.

7.3. For issuance of import certificate by MHI, the Approved Applicant would be required to furnish an annual import application to PMA for number of e-4Ws proposed to be imported in the next 12 months under the Scheme. The said annual import application has to be submitted within 30 days of the Application Approval

Date for the first year and subsequently, at least 60 days prior to commencement of each year for which the approval is required. The format of the annual import application to be furnished is as provided in **Annexure-VII.** The Applicant will have an option to submit a revised annual import application, if required, with proper justification. This option to submit a revised annual import application can be exercised only once during a year.

7.4. After the first year, the Approved Applicant would, along with the annual import application, be required to furnish a certificate duly certified by Chartered Engineer certifying *inter-alia* the following:

a. Investment made till date (purchase orders issued, expenditure incurred and amount capitalized)

b. Whether the Investment and construction made is in line with the business/ project plan submitted at the time of application (as per **Annexure-VIII**)

c. Photos of manufacturing facility(ies) taken during site visit

d. Details of assets lying at supplier's premises

e. Any other document(s) which seems necessary to the Chartered Engineer or as may be specified by MHI/ PMA.

7.5. The annual import application and Chartered Engineer certificate submitted by the Approved Applicant would be reviewed by PMA. The PMA may also cross check the information with that available with the Customs authorities in India. PMA would, accordingly, put up its recommendation to MHI for the issuance of the annual import certificate.

7.6. MHI would review the recommendation of the PMA and if satisfied, MHI would issue annual import certificate for the Applicant.

8. Monitoring

8.1. Post issuance of the approval letter, PMA shall monitor the progress of the Approved Applicant(s).

8.2. Periodical review will be done by MHI to monitor progress under the Scheme.

8.3. The Applicant would be required to maintain and produce all original documents including original invoices, bills of entry (for imported items), bank account statements, etc. for the purpose of verification by MHI/PMA or any other agency authorised by MHI/PMA.

8.4. The MHI/PMA either on its own or through a certified third party shall have the right to carry out physical inspection of an Applicant's manufacturing unit(s) and office(s) through site visits for the purpose of verification and preparation of verification report.

8.5. In case of any doubt with respect to determining eligibility and benefit due, or any other matter in discharge of its duties and responsibilities, the PMA may refer such matter to MHI for clarification.

8.6. If the PMA or MHI is satisfied that eligibility under the Scheme and / or benefits availed under the Scheme have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, MHI will ask the Approved Applicant to refund any benefit obtained under the Scheme along with interest calculated at 3 years' SBI Marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) prevailing on the dates of availing benefits, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard. This will be in addition to MHI's right to take any other action as deemed fit.

8.7. Any change / deviation in the location of a project / unit shall be allowed after obtaining approval from MHI. For the aforesaid purpose, the Applicant would submit the revised project plan along with the reason for change of location which PMA would verify and if satisfied with the genuineness of the change, would forward the application along with their recommendation to MHI for approval. The decision made by MHI in this regard would be final.

8.8. The Approved Applicant would also be required to submit quarterly review report (QRR) to the PMA within 30 days from the end of each quarter on the progress being made in setting up manufacturing facilities in India during the scheme duration. The format of QRR is as provided in Annexure-IX.

8.9. Consent for audit/ verification of manufacturing sites, financial statements, import records and any other data related with the company's operations under the Scheme is to be provided in format as per **Annexure-X**.

9. Commencement of Operations and Minimum Revenue Criteria

9.1. The Date of Commencement of Operations shall be within 3 years from Application Approval Date.

9.2. Minimum Revenue Criteria: Minimum Revenue from sale of Eligible Product commencing from beginning of fourth year from the Application Approval Date shall be as follows:

Particulars	Year 4 (Y4)	Year 5 (Y5)
Minimum Revenue from sale of Eligible Product	5,000 crore	7,500 crore

9.3. If the Approved Applicant fails to meet the Minimum Revenue Criteria as defined in para 9.2. above, the Approved Applicant would be liable to pay penalty as outlined below within 30 days from the issuance of penalty demand notice by MHI/ PMA at the end of year 4 (Y4) and/ or year 5 (Y5) from the Application Approval Date:

S. No.	Actual revenue from sale of Eligible Product as % of Minimum Revenue Criteria for Y4 and Y5	Penalty
1	Equal to or more than 95%	Nil
2	Equal to or more than 50% and less than 95%	1% of shortfall of Minimum Revenue
3	Equal to or more than 25% and less than 50%	2% of shortfall of Minimum Revenue
4	Less than 25%	3% of shortfall of Minimum Revenue

In case the Applicant fails to pay the aforesaid Penalty to MHI within the permitted time period, then MHI shall have the right to take suitable action as deemed fit.

10. DVA Certification & Role of Testing Agency(ies)

10.1. To assess the DVA of the Eligible Product as required under the Scheme, the Standard Operating Procedure (SOP) issued under Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component (PLI Auto Scheme) would be followed.

10.2. Certification of DVA of Eligible Product manufactured in India by the Approved Applicant would be done by testing agency(ies) of MHI.

10.3. Further, Techno-Commercial Audit (TCA) and Periodic Surveillance Audit (PSA) of DVA certified products would also be required in accordance with SOP for certification of DVA issued for PLI Auto Scheme.

10.4. The Approved Applicant would also be required to comply with the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and all other regulations and guidelines applicable for motor vehicles for import of e-4W in India.

11. Powers of MHI to frame Guidelines/ Procedure

11.1. MHI shall have the powers to frame/ lay down the guidelines/ procedure or alter/ amend/ add/ delete any terms & conditions, etc. under this Scheme/ guidelines.

11.2. MHI/ PMA shall have the powers to call for any information/ data/ records, etc. in connection with this Scheme or inspect such records/ information (manual or electronic) as it may deem necessary.

11.3. Approved Applicant should maintain all the relevant data/ documents/records for a time period specified under statutory provisions such as Income Tax Act 1961/ CGST Act/ General Financial Rules (GFR)/ GoI instructions/ tenure of this Scheme, whichever is higher. Applicants should refer to the aforesaid Acts/provisions, especially GFR for maintenance/ retention of documents.

11.4. MHI/ PMA shall have powers to depute its representative(s) to visit the premises/ office/ works/ factory/ workplace, etc. for the purpose of inspection and verification and may pass such order or issue directions in relation thereto as it may deem fit. In case it is required to visit any unit(s) of Applicant's supplier(s), then the Applicant shall facilitate the same.

11.5. All operational issues in the implementation of the Scheme and guidelines shall be resolved by MHI and its decision will be final in all respects.

12. Resolution of Disputes

12.1. Any dispute under this Scheme shall be resolved by mutual discussion and reconciliation. In case of difference of opinion, decision of Additional/Joint Secretary, MHI shall be final.

12.2. The jurisdiction in respect of any disputes that may arise under this Scheme shall lie at the Courts/Tribunals in New Delhi, India only.

13. Violation of the Scheme or the Guidelines

Any violation committed by the Approved Applicant to any of the conditions of the Scheme or the Scheme Guidelines, or any other directions issued by MHI/PMA from time to time, shall result in automatic invocation of the bank guarantee by MHI/PMA.

14. Integrity Pact

14.1. To obviate any malpractices in financial matters, it has been decided to provide deterrent against the corrupt practices for promotion of transparency and equity. Therefore, keeping in view the sensitivities involved in the process and taking cue from the instructions of the Central Vigilance Commission regarding adoption of an Integrity Pact in the matter of procurement, it has been decided that Applicants shall furnish undertaking w.r.t. Integrity Compliance duly signed by its authorised signatory, as will be issued along with the Application Form. The undertaking shall be provided by all the Applicants. The applications of those Applicants who do not submit the undertaking shall not be processed and considered.

14.2. The Integrity Pact would be required to be submitted by the Applicant(s) at the time of submission of application and thereafter along with each annual import application. The format of Integrity Pact Undertaking to be furnished is as provided in Annexure-XI**.**

15. Miscellaneous

The Scheme notification and its guidelines can be reviewed and revised by the competent authority in MHI. Further, clarifications via Notifications/ FAQs/ guidelines/circulars/SOPs in this regard can be issued by PMA/ MHI to resolve any ambiguity/ concerns in relation to the Scheme.

[F. No. 1(2)/2024- AEI (28128)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Annexure-I: Format of Application Form

1. Applicant Details

1.1 Applicant Details:

*Name of the Applicant / Company	*Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)	*Corporate Identification Number (CIN)	*PAN	*Type of Legal Entity	*Importer Exporter Code (IEC)	*Listed/ Unlisted	*Web site
<Auto populated from registration form>		<Auto populated from registration form>		Public Limited Company / Private Limited Company		<Dropd own>	

Copy of certificate of incorporation, PAN card & IEC certificate to be uploaded in Document Uploads section

*Registered Office Address-Line 1	*Registered Office Address-Line 2	*City/ District	*State/UT	*Pin code	*GSTIN of Registered office
<Auto populated from registration form>	<Auto populated from registration form>	<Auto populated from registration	<Auto populated from registration	<Auto populated from registration	

		form>	form>	form>	

Copy of GST certificate to be uploaded in Document Uploads section

1.2. Key Promoters (not less than 51% equity shareholding) of the Applicant:

S. No.	*Name	*Nationality (Country)	*Mobile number	*Email	*Address	*Date of birth/ incorporation (DD/MM/YYYY)	*No. of equity shares held	*%Equity shares held
Total								

Latest Company Secretary (CS) certified shareholding pattern to be uploaded in Document Uploads section

1.3. Board of Directors of the Applicant:

S. No.	*Name	*Designation	*DIN	*Email	*Mobile number	*Address	*Date of birth

Profile of Directors to be uploaded in Document Uploads section

1.4. Key Managerial Personnel (KMPs) [MD, CFO, CS] of the Applicant:

S. No.	*Name	*Designation	*Email	*Mobile number	*Address

Board resolution/Appointment letters to be uploaded in Document Uploads section

1.5. Authorized Person of the Applicant:

Primary Authorised signatory

S.No.	* Name	*Designation	*Passport/ Driving License number	*PAN	*Email	*Mobile number	*Address
	<Auto populated from registration form>	<Auto populated from registration form>			<Auto populated from registration form>	<Auto populated from registration form>	

Additional Authorised signatory

S.No.	* Name	*Designation	* Passport/ Driving License number	*PAN	*Email	*Mobile number	*Address

Copy of Authorisation letter to be uploaded in Document Uploads section

Copy of self-attested Passport/ Driving license and PAN card to be uploaded in Document Uploads section

1.6. Independent / Statutory auditor details (as on date of Application):

*Name of the CA/CA firm	*Address	*Membership/FRN number	*Date of appointment

2 Details of company(ies) applying under the Scheme

2.1 Details of Group Company(ies) whose credentials have been used for qualifying the eligibility criteria under the Scheme:

S. No.	*Com-pany name	*Registered Address	*Registration number/CIN	*Date of Incorporation	*Country of incorporation	*Relation with the Applicant	*Reason of considering it a "Group Company" (2.14 of Scheme Notification)

Certificate of Incorporation to be uploaded in Document Uploads section

2.2 Solvency/Debarred/Defaulter/Credit rating declaration for Applicant and its Group Companies:

Sl. No.	*Company name	*Is in RBI Defaulter list?	*Is admitted for Insolvency/ Bankruptcy proceedings?	*Is in Wilful Defaulter list?	*Is in Debarred list of securities/ financial sector regulator?	*Is blacklisted by Government organization / body / Authority in India or globally	*External Credit Rating	*Name of Rating agency	*Date of rating (DD/MM/YYYY)
		<Dropdown>	<Dropdown>	<Dropdown>	<Dropdown>	<Dropdown>	<Dropdown>		

Certificate from Company Secretary for Applicant (including its Group Companies) for not being Defaulter/ Bankrupt/ Blacklisted to be uploaded in Document Uploads section

CIBIL reports of all companies (not older than 3 months from the date of the submitting the Application) (certified by Company Secretary) to be uploaded in Document Uploads section

Rating Rationale to be uploaded in Document Uploads section

2.3 Nature of current business of Applicant and Group Company(ies):

S. No.	*Company name	*Nature of Current Business

Business profile/corporate presentation to be uploaded in Document Uploads section

2.4 Current manufacturing facilities in India of Applicant &its Group Company(ies):

S. No.	*Company name	*Address	*GSTIN	*Installed production capacity per annum (in number of units of ICE cars)	*Installed production capacity per annum (in number of units of e-4W)

3. Eligibility details

3.1 Eligibility criteria under the Scheme (Global Group Revenue and Global Investment in gross block of Fixed Assets):

S. No.	*Company name	*Period of latest audited Financial Statements	*Revenue from automotive manufacturing based on the latest audited financial statements at the time of Application (in INR Crore)	*Gross block of fixed assets, based on the latest audited annual financial statements at the time of application (in INR Crore)
	<Auto populated from 1.1 and 2.1>			
Total			-	-

Latest Annual Report/Audited Financial Statements of the Applicant and Group Company(ies) to be uploaded in Document Uploads section

Certificate from Independent/ Statutory Auditor certifying Global Group Revenue and Global Investment to be uploaded in Document Uploads section

4. Details of E-4W permitted for import

4.1 Indicative list of models of E-4W permitted for import under the Scheme:

							Expected number of units to be imported					
S. No.	*Model Name	*OEM Name	*Whether OEM is Group Company?	*Reason of considering it a "Group Company"	*Country of OEM's registration	*Tentative range of CIF value (in USD)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
			<dropdown>	<dropdown>								
Total							-	-	-	-	-	

4.2 Benefit of Duty Foregone proposed to be availed under this Scheme:

				Benefit of Duty foregone (Rs.)					
S. No.	*Model Name	*OEM Name	*Tentative range of CIF value (in USD)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
			Total						

5. Project details

5.1 Proposed manufacturing facilities for Eligible Product under the Scheme:

S. No	*Address	*City/District	*State/UT	*Pin code	*GSTIN obtained?	*GSTIN	GST RC	Whether new facility/ brownfield (expansion) project?
					<dropdown>		<Upload>	<dropdown>

Business/ Project Plan to be uploaded in Document Uploads section

GST Registration Certificates (RCs) to be uploaded here

5.2 Committed Investment to be made under the Scheme (in INR Crore)*: _____

5.3 Indicative breakup of Investment to be made under the Scheme (in INR Crore):

	Years				
Particulars*	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Building (of main plant and utilities)					
Plant, Machinery & Equipment					
Tools, Dies, Moulds, Jigs, Fixtures at suppliers' premises					
Charging Infrastructure					
Associated Utilities					
Engineering Research & Development (In House)					
Total	-	-	-	-	-
Cumulative Investment			INR 4,150 cr (minimum)		

5.4 Indicative list of models of Eligible Product under the Scheme:

S. No.	*Model name	*Range* (in km)	Battery capacity (in kWh)	Ex-factory price (Rs.)

5.5 Projected sales of Eligible Product(s) under the Scheme:

	Years				
Particulars	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Model name < Model 1 >	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>
Manufacturing capacity per annum (in units)					
Tentative sales per annum (in number of units of e-4W)					
Tentative average selling price (in INR/unit)					
Tentative Revenue per annum (in INR)	<Auto calculated>	<Auto calculated>	<Auto calculated>		
Model name < Model 2 >	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>
Model name < Model 3 >	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>	<Auto populated from 5.4>
Grand Total Revenue per annum	-	-	-	<minimum Rs.5,000 crore>	<minimum Rs.7,500 crore>

5.6 Proposed Domestic Value Addition (DVA)% by the end of each year:

	Years				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
DVA%			<minimum 25%>		<minimum 50%>

5.7 Expected cumulative employment generation in India during the tenure of the Scheme:

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
On-roll labour/ employees					
Contractual					
Apprentice					
Total	-	-	-	-	-

6. Application Fee

6.1 Application fee is to be transferred to the following Bank account:

Account name	Account no.	Name of the Bank	Branch Code	Branch IFSC Code	Branch Name	Branch Address
<auto populated>	<auto populated>	<auto populated>	<auto populated>	<auto populated>	<auto populated>	<auto populated>

6.2 Application fee (Non-refundable) payment details:

*Payment date (DD/MM/YYYY)	*Unique reference no.	*Bank name	*Amount (in INR)

Application fee payment proof to be uploaded in Document Uploads section

7. Documents Uploads

7.1 Document Uploads (all documents to be attested):

1.	Certificate of Incorporation (CoI) of the Applicant
2.	Permanent Account Number (PAN) card of the Applicant
3.	IEC Certificate of the Applicant
4.	GST Certificate of the Applicant
5.	Memorandum of Association (MOA)
6.	Articles of Association (AOA)
7.	Latest Company Secretary (CS) certified shareholding pattern
8.	Profile of directors
9.	Board Resolution/Appointment letters for all the KMPs of the Applicant
10.	Authorisation letter for primary authorised signatory
11.	Passport/ Driving Licence of primary authorised signatory
12.	PAN card of primary authorised signatory
13.	Authorisation letter for additional authorised signatory
14.	Passport/ Driving Licence card of additional authorised signatory

15.	PAN card of additional authorised signatory
16.	Certificate of Incorporation of Group Company(ies)
17.	Certificate from Company Secretary for Applicant (including its Group Companies) for not being Defaulter/ Bankrupt/ Blacklisted/ Insolvent
18.	CIBIL/ Credit Information report of the Applicant and its Group Companies
19.	Rating Report (with Rating Rationale) for Applicant and its Group Companies
20.	Business profile/corporate presentation of the Applicant and Group Company(ies)
21.	Independent/ Statutory Auditor certified Global Group Revenue and gross block of Fixed Assets with respect to automobile manufacturing
22.	Latest annual report/Audited financial statements of the Applicant and Group Company(ies)
23.	Business/ Project Plan for setting up the manufacturing facilities of Eligible Product in India
24.	GST Registration Certificate(s), if obtained, for proposed locations where Committed Investment is to be made
25.	Application fee payment proof
26.	Undertaking with respect to Integrity Compliance
27.	Consent for audit/ verification of manufacturing sites, financial statements, import records and any other data related with the company's operations under the Scheme

8.1 Declaration:

The data, documents, declaration and any other information submitted in this application form is based on the latest information available with me and is true and correct to the best of my knowledge and belief. I have read and understood the provisions of the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) as notified vide S.O. No. 1363(E) dated 15/03/2024, notifications nos. 19/2024-Customs & 20/2024-Customs dated 15th March 2024 of Department of Revenue and relevant guidelines thereto and have submitted all information, data, documents and declaration in accordance with the same. Any decision taken by Ministry of Heavy Industries (MHI) with respect to acceptance of this application, eligibility under the Scheme, and any other related matter will be final and binding on the Applicant company.

☐ I understand the terms & conditions

Authorised Signatory

Date:

Designation

Annexure-II- Bank Guarantee Deed

(From any scheduled commercial bank)

FORMAT

This Deed of Guarantee executed on this _____ day of _____ (month), ___ (year) at _____by_____ (from any scheduled commercial bank in India), having its Head Office / Registered Office at _____ and inter-alia a Branch Office at_____ (hereinafter referred to as the Bank or 'the Guarantor', which expression shall unless it be repugnant to the subject or context hereof be deemed to include its successors and assigns).

In favour of

Ministry of Heavy Industries, Government of India, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011 (hereinafter referred as 'MHI' which expression shall unless it be repugnant to the subject or context hereof be deemed to include its successors and assigns) represented by IFCI Limited, having its registered office at IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi – 110019, acting as the Project Management Agency ('PMA') for Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India ('SPMEPCI' or 'the Scheme').

WHEREAS

A. [……..], a Company within the meaning of the Companies Act, 2013 and having its Registered Office at [----------] (herein after referred to as 'the Approved Applicant' which expression unless repugnant to the subject or context includes its successors, Legal representatives and permitted assigns) and has been awarded approval under the above scheme vide letter number ---------- ---------- dated ---------- ('Approval Letter').

B. In terms of the undertaking dated ---------- (refer undertaking to be provided in format as per Annexure-II-B) and para 4.2.2 and 4.2.3. of the Scheme Notification S.O. No. 1363, the Applicant has to provide a Bank Guarantee for an amount equivalent to ₹ 4,150 crore (Rupees Four thousand one hundred and fifty crore), or the proposed Duty Foregone i.e. ₹ ……. (in words ……..), whichever is greater within 30 days from the date of issuance of letter of approval by MHI, valid for at least 6 years at the time of submission.

C. At the request of the Approved Applicant, the Guarantor has agreed to provide this guarantee, being these presents, guaranteeing the due and punctual performance/ discharge by the Approved Applicant of its obligations.

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

I. The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees the due and compliance of terms by the Approved Applicant of all its obligation under the said undertaking and Approval Letter, as amended from time to time.

II. The Guarantor shall, without demur, pay to MHI / PMA sums not exceeding in aggregate ₹ ---------- (Rupees ----------) within five (5) bank working days (as per the Reserve Bank of India) on receipt of a written demand thereof from MHI / PMA stating that the Approved Applicant has failed to meet its obligations under the said undertaking. The Guarantor shall not have to go into the veracity of any breach or failure on the part of the Approved Applicant or validity of the demand so made by MHI/ PMA and shall pay the amount specified in the demand notwithstanding any direction to the contrary given or any dispute whatsoever raised by the Approved Applicant or any other person. The Guarantor's obligations hereunder shall subsist until all such demands are duly met and discharged in accordance with the provisions hereof;

III. The Guarantor agrees that its liability under this guarantee shall in no manner be affected by any such variation, alteration, modification, waiver dispensation and that no further consent of the Guarantor is required for giving effect to any such variation, alteration, modification, waiver dispensation with *or* release of security*;*

IV. This Guarantee shall be unconditional and irrevocable; and shall remain in full force and effect till _____ (Bank Guarantee Period) (date cannot be lesser than 6 years from the date of submission to MHI/ PMA). The claim period for MHI to invoke the present Guarantee shall remain for another period of 1 year from the expiry of the Bank Guarantee Period i.e. till _____ (Claim Period). The Guarantor is liable to pay the guaranteed amount (under this Guarantee) to MHI/PMA upon receiving a written claim or demand from MHI/PMA until the Claim Period;

V. Until and unless discharged/ released earlier by MHI / PMA in accordance with the provisions of the said undertaking, the Guarantor's liability in aggregate shall be limited to a sum of ₹ -------- (Rupees ----------);

VI. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Approved Applicant/ Guarantor or and absorption, merger or amalgamation of the Approved Applicant/ Guarantor with any other person;

VII. The Guarantor has power to issue this Guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorized to execute this Guarantee pursuant to the power granted under;

VIII. It shall not be necessary for MHI/PMA to proceed against the Approved Applicant/ Guarantor before presenting its demand under this Guarantee;

IX. Any demand made by MHI/PMA under the present Guarantee shall be conclusive, binding, absolute and unequivocal, notwithstanding any objection or dispute being raised by the Approved Applicant or Guarantor or any other person. The Guarantor shall honour the written demand of MHI/PMA for invoking bank guarantee

forthwith. The written demand for invoking the present Guarantee can be made by MHI/PMA to the Guarantor in any format;

X. This Guarantee is in addition to and not in substitution of any other guarantee or security now or which may hereafter be held by MHI/PMA in respect of or relating to the Scheme or for the fulfilment, compliance and/or performance of all or any of the obligations of the Approved Applicant under the Scheme;

All future correspondence with reference to this Guarantee shall be made to. ..... (Bank Name and Address).

The jurisdiction in relation to this Guarantee shall be the Courts at New Delhi and Indian Law shall be applicable.

IN WITNESS WHEREOF THE GUARANTOR HAS SET ITS HANDS HEREUNTO ON THE: DAY, MONTH AND YEAR FIRST HEREINABOVE WRITTEN

Signed And Delivered by----------Bank by the hand of---------- ---------- its----------and authorized official.

Annexure-: Undertaking For Providing Bank Guarantee

(From Applicant on its letterhead)

1. We, …… ('the Approved Applicant') having CIN No……., PAN No. …… and registered office at …… hereby, acknowledge that the benefit that would/ may be provided to us under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI or 'the Scheme'), notified by Ministry of Heavy Industries (MHI) vide S.O. No. 1363(E) dated 15th March 2024 and other relevant guidelines, communications from time to time, will be based on and after relying upon, the information submitted by us to avail the said benefit.
2. We hereby confirm that the information provided by us for availing the said benefit is true, correct and complete in all respects and that no material fact/ information that may have an adverse impact on the information provided by us for availing the said benefit have been concealed.
3. We hereby confirm that the Committed Investment in the project and achievement of Domestic Value Addition, as applicable, is to be made by us within a specified period of time.
4. We clearly understand from the Scheme that Bank Guarantee submitted by us could be invoked *inter-alia* on non-fulfilment of any of the following:
   (a) Investment of minimum ₹4,150 crore within a period of 3 years from the application approval date;
   (b) Electric Passenger Cars manufactured by us at our manufacturing facility(ies) in India will be required to achieve a DVA of minimum 25% within a period of 3 years from the application approval date;
   (c) Investment made by us within a period of 5 years from the application approval date should be at least equivalent to duty foregone, or USD 500 million, whichever is more;
   (d) Electric Passenger Cars manufactured by us at our manufacturing facility(ies) in India will be required to achieve a DVA of minimum 50% within a period of 5 years from the application approval date.
   (e) Conditions for import prescribed in the Notification No. 19/2024-Customs dated 15 March 2024 notified by Ministry of Finance.
   (f) Payment of penalty as specified in the Scheme Guidelines.
   (g) Adherence to directions given by MHI, from time to time, in connection with this Scheme.

   Further, misrepresentation, misstatements, misinformation, falsification of information with an intention to defraud the Government would also be a circumstance for invocation of bank guarantee.
5. We understand, acknowledge and agree that any of the violations on our part (specified above) shall result in loss to the Government of India at least to the extent that of the amounts guaranteed under the Bank Guarantee.
6. In the event of invocation of the Bank Guarantee by the MHI/PMA for any of the reasons mentioned above, we agree that there would be no irreparable loss or irretrievable injustice against us; nor would any special equities apply in our favour in the present matter.
7. With regard to the aforesaid transactions, we hereby undertake the following:

A. We undertake to provide Bank Guarantee (BG) from a scheduled commercial Bank for the amount which is

mentioned below:

Sr. No.	Particulars	Details
1.	Application Approval Date	
2.	Validity period of BG	Up to _____
3.	Claim Period	Up to _____
4.	Committed Investment	
5.	Value of BG	₹ _____

B. In case of loss, mutilation, force majeure or any other eventualities, with respect to Original Bank Guarantee (favouring MHI / PMA, held at PMA), MHI/ PMA will not be liable for the same and the onus would be with us to arrange for alternate/ duplicate Bank Guarantee in place of the original Bank Guarantee.

C. We also understand that the Bank Guarantee will be released *to us on* fulfilment of all the conditions of the Scheme and its Guidelines.

Signature of the Authorized Signatory

Name & Designation with Address:

Date:

Place:

Annexure-III: Undertaking for compliance to FDI Policy

(on the letterhead of the Applicant)

1. We, _____ [Applicant Name], hereby declare and undertake that we have read and understood the Foreign Direct Investment (FDI) Policy 2020 as stipulated by the Government of India along with all amendments issued from time to time.

2. We agree to adhere and comply to all the provisions of the aforesaid FDI policy, including restrictions on investment from countries sharing land border with India, for any investment made/ to be made under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI).

Signature of Authorised Signatory

(Name & designation with address)

Annexure-IV: Certificate from Statutory Auditor for Global Group Revenue and Global investment for Group Companies

(certified by Independent/ Statutory Auditor of the Applicant and <u>each</u> of its Group Companies)

1. This is to certify that …… ('the Applicant') having CIN No……., PAN/ tax identification No. …… and registered office at …… proposes to apply under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) notified by Ministry of Heavy Industries (MHI) vide S.O. 1363(E), dated 15 March 2024.

2. We _____ (name of Independent/ Statutory Auditor) hereby confirm the following details in respect of the Applicant and its Group Companies whose credentials have been considered for the purpose of Eligibility under the Scheme:

Company Name	Registe-red at (Address)	Country o Incorpo-ration	Date of Incorporation	Registration No.	Relationship with Applicant	Revenue from automotive manufacturing based on latest audited annual Financial Statement for the period from ___ to ___	Investment in fixed assets (gross block) based on latest audited annual Financial Statement as on ____

3. Copy of latest audited annual financial statement of above-mentioned Group Companies along with certificates from Independent/ Statutory Auditor of each those Group Companies is attached as **Appendix.**

Signature & Stamp

(Name of the signatory)

(Name & address of the firm)

FRN/ Membership No.

Annexure-V-A: Certificate from Company Secretary for Applicant (including its Group Companies, registered in India) for not being Defaulter/ Bankrupt/ Blacklisted

(To be furnished for Applicant and each of its Group Companies registered in India, whose credentials have been considered for determining eligibility)

To Date:

IFCI Limited,

PMA for SPMEPCI,

IFCI Tower, 61, Nehru Place,

New Delhi-110019

Ref:

1. Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI or the Scheme) as notified vide S.O. No. 1363(E) dated 15 March 2024 read with the Scheme Guidelines notified vide S.O. No. …… dated 15 March 2024, as amended from time to time.
2. Approval letter number ……. dated ……. for approval of application under SPMEPCI.

Sub: **Certificate for ……. Ltd.**

Dear Sir/ Madam,

1. In connection with benefits under SPMEPCI, for the period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy, this is to certify that _____ Limited (the Company) having CIN/Registration number _____ has obtained/ shall obtain all requisite regulatory and statutory clearances, approval, licenses including environmental clearances required by law for the purpose of manufacturing _____ <Eligible Products> at its units situated at _____ <please include all units whose investment is being claimed under the Scheme>.

2. The approvals were available and valid during the period for which benefit is being claimed.

3. I confirm that the _____ (company or Group Company for which this certificate is issued) accounts have not been declared as Non- Performing Asset (**NPA**) as per RBI guidelines or **defaulter** or wilful defaulter as per RBI/CIBIL or included in **SEBI debarred list** or reported as **fraud** by any bank, financial institution or non-banking financial company, etc. Further, no **insolvency** or bankruptcy proceedings are pending against the Company.

4. That we shall immediately inform the Project Management Agency (PMA) and Ministry of Heavy Industries (MHI), in case there is any change in the status of any of the statements/ confirmations made above, during the tenure of the Scheme.

5. Latest CIBIL report of the Applicant is attached.

<Please give complete details and present status, if response to any declaration at para 2 or 3 above is contradictory.>

For _____ Limited

<insert signature here>

(Name)

Company Secretary

Place:

Encl: Latest CIBIL Report of the company.

Annexure-V-B: Certificate from Company Secretary for Group Companies, registered/ incorporated outside

India, for not being Defaulter/ Bankrupt/ Blacklisted

(To be furnished for each Group Company, registered/ incorporated outside India, whose credentials have been considered for determining eligibility)

To Date:

IFCI Limited,

PMA for SPMEPCI,

IFCI Tower, 61, Nehru Place,

New Delhi-110019

Ref:

1. Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI or the Scheme) as notified vide S.O. No. 1363(E) dated 15 March 2024 read with the Scheme Guidelines notified vide S.O. No. …… dated 15 March 2024, as amended from time to time.

2. Approval letter number ……. dated ……. Issued to _____ Ltd. for approval of application under SPMEPCI.

Sub: **Certificate for ……. Ltd.**

Dear Sir/ Madam,

1. In connection with benefits under SPMEPCI to _____ Ltd. (applicant), for the period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy, this is to certify the following.

2. I confirm that _____ (group company registered outside of India) has not been declared as defaulter or wilful defaulter or reported as fraud by any bank, financial institution or non-banking financial company or debarred by any securities or financial sector regulator. Further, no insolvency or bankruptcy proceedings are pending against _____ (group company registered outside of India).

3. That we shall immediately inform the Project Management Agency (PMA) and Ministry of Heavy Industries (MHI), in case there is any change in the status of any of the statements/ confirmations made above, during the tenure of the Scheme.

<Please give complete details and present status, if response to any declaration above is contradictory.>

For _____ Limited

<insert signature here>

(Name)

Company Secretary

Place:

Annexure-VI: Format for Board Resolution for appointing Authorised Signatory

Extract of the Resolution passed by the Board of Directors of _____ Limited (the Company/ the Applicant) held on _____ (date) at ____(time) at the Registered office of the Company at _____ (address).

The Chairman informed the Board that the Company is desirous of availing the benefit of reduced Customs duty benefit on import of Electric passenger Cars under SPMEPCI Scheme notified vide S.O. 1363 (E) dated 15.03.2024, and has agreed to abide by the terms and conditions of the SPMEPCI Scheme and its operational guidelines.

Copy of the SPMEPCI Scheme & its guidelines as issued by MHI, have been circulated to the Board/ placed on the table of the meeting.

The Board discussed the matter and passed the following resolutions:

"RESOLVED THAT the consent of the Board of Directors is accorded for accepting and agreeing to abide by the terms and conditions as laid down in the SPMEPCI Scheme and its Guidelines and any other documents issued by MHI from time to time, as required in connection with the SPMEPCI Scheme.

RESOLVED THAT the Board hereby authorises Mr./ Ms. _____, _____ & _____ (Names & Designation) to act as Authorised Signatory(ies) for:

- Submitting all the related data, documents, certificates, indemnities, etc. and any other information on our behalf,
- To make representation, give undertakings and correspond with MHI/ IFCI being the project management agency (PMA),
- To submit correct and complete data, document, certificates and information in connection with determination of import and manufacturing data of eligible product(s) and any other aspect related to the SPMEPCI Scheme.

RESOLVED THAT

- Any data, documents, certificates, information and indemnities furnished/ submitted by _____ (names and designation of authorised signatory(ies)), their statements and explanations shall be binding on _____ (name of the Company/ the Applicant).
- He/ She is authorised individually to accept, issue and make all communication in relation to the proceeding stated therein.

RESOLVED FURTHER THAT a true copy of the resolution be provided to the PMA/ MHI for their records.

Certified True Copy

For _____ (Company/Applicant)

(_____)

Director/ Company Secretary

DIN:

(Address)

Date:

Place:

Annexure-VII: Annual Import Application for the period from …… to ……

An Approved Applicant shall be required to provide the following information (self-certified) within 30 days of the Application Approval Date for the first year and at least 60 days prior to commencement of every subsequent year:

1. Applicant details	
1.1 Name of the Applicant	
1.2 Application No. (assigned at the time of applying under the Scheme)	
1.3 Application Approval Date	
1.4 Latest Shareholding Pattern of the Applicant	
1.5 Latest Shareholding Pattern of Group Companies, if considered for eligibility under this Scheme	
1.6 Importer Exporter Code (IEC) of the Applicant (certificate to be uploaded)	
1.7 Manufacturing location/(s) – including complete Address, City, -State, PIN code	
1.8 Installed annual capacity envisaged (in nos. of passenger cars)	
1.9 GST Registration No. (certificate to be uploaded)	
1.10 Committed Investment (amount in ₹)	

2. RBI Defaulter, SEBI Debarred, Blacklisted Status of Applicant*	
2.1 Whether the applicant is in RBI Defaulter list	Yes/No
2.2 Whether the applicant is admitted for Bankruptcy/Insolvency proceedings	Yes/No
2.3 Whether the applicant is in Wilful Defaulter list	Yes/No
2.4 Whether the applicant is in SEBI Debarred list	Yes/No
2.5 Whether the applicant is blacklisted by Government organization / Government body / Government Authority in India or globally	Yes/No

An Undertaking in format prescibed in Annexure-VA & VB of the guidelines along with latest CIBIL report (not older than 3 months from the date of the submitting the Application) is required to be uploaded

3. Investment details	
3 (a) Committed Investment for manufacturing of Eligible Product (amount in ₹):	

3 (b) : **Investment made for manufacturing of Eligible Product from Application Approval Date till ____ (amount in ₹):**

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Sr. No.	**Sub-Head of Investment**	**Amount of Purchase Orders issued (in ₹) Copies to be enclosed**	**Amount paid (in ₹)**	**Amount capitalized (in ₹)**
A.	Building of main plant and utilities			
B.	Plant, Machinery and Equipment			
C.	Tools, Dies, Moulds, Jigs, Fixtures (at supplier's location)			
D.	Associated Utilities			
E.	EV Charging Infrastructure			
F.	Engineering Research & Development (In House)			
	Total			

Chartered Engineer Certificate to be attached

4A. Details of duty foregone and vehicles imported from Application Approval Date till ____ (amount in ₹):

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Year	**Duty foregone in the year (in ₹)**	**Cumulative Duty foregone (in ₹)**	**Vehicles proposed to be imported in the year (in nos.)**	**Vehicles actually imported in the year (in nos.)**	**Cumulative Vehicles imported (in nos.)**	**Vehicles sold in the year (in nos.)**
Year 1						
Year 2						
Year 3						
Year 4						
Year 5						
Total		-			-	

4B. Total Duty to be foregone during the Scheme duration

1	Total Duty to be foregone during the Scheme duration (in ₹)	
2	Cumulative duty foregone already availed (in ₹)	
3	Balance amount (in ₹) [2 – 1]	

5. Past Data on imports under the Scheme

(Details to be filled up for each model/variant under each bill of entry)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Sr. No.	Name of OEM*	Model/ variant name	No. of vehicles	Country of Origin	Originating Port	Destination Port	Bill of lading No. (attach a copy)	Date of shipment	Bill of Entry (BoE) No. (attach a copy)	BoE date	CIF value of each model (in USD)	Total CIF value for each BoE in USD	Total CIF value for each BoE in INR	Duty foregone for each model in each BoE (in INR)

** OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached.*

List of Documents to be attached in support of imports made during last year (Data to be verified from Customs)

(a) Commercial Invoice issued by OEM

(b) Packing list

(c) Bill of lading

(d) Bill of entry

(e) Copy of Insurance Policy / certificate

(f) Certificate of origin

(g) Certificate regarding shipment by Seaworthy vessel issued by Lloyds or equivalent classification agency

(h) Certificate of inspection by reputed Inspection agencies

(i) Foreign exchange control form (form A-1)

(j) Clearance Certificate issued by Indian Customs Dept.

(k) Rationale for considering supplier OEM as group company of Applicant

6. Proposed plan for imports under the Scheme for next year

(to be filled only for annual import application other than a revision application)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sr. No.	Name of OEM*	Model/ variant name	No. of vehicles	Country of Origin	Originating Port	Destination Port	CIF value of each model (in USD)	Duty proposed to be foregone per vehicle (in INR)	(CIF value X Qty) (4 X 8) for each model (in USD)	Duty proposed to be foregone for each model (4 X 9) (in INR)

**OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached.*

The Integrity Pact compliance undertaking in format prescribed in Annexure-IX of the guidelines is required to be uploaded along with the import application.

7. Data for Mid-term revision (To be submitted in case applicant submits request for mid-term revision of the Import application)

7. (a) Details of imports made during the period since application date

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Sr. No.	Name of OEM *	Model/ Variant name	CIF value of each model estimated at the time of application(in USD)	Actual CIF value of each model imported (in USD)	No. of vehicles estimated to be imported at the time of application	Actual No. of vehicles imported so far during the period	Total value of imports estimated at the time of application (in USD)	Actual value of imports during the period (in USD)	Estimated Duty foregone at the time of application (in INR)	Actual duty foregone during the period (in INR) [exchange rate as per bill of entry]	Balance no. of vehicles which can be imported during the remaining period (in nos.)	Balance duty benefit remaining for the period (in INR)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)= (D)*(F)	(I) = (E*G)	(J)	(K)	(L)=(F)-(G)	(M)= (J)-(K)
		TOTAL										

**OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached.*

7. (b) Revised estimates for the balance period of the relevant year for which the Import certificate is requested to be re-issued :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sr. No.	Name of OEM*	Model/ variant name	No. of vehicles	Country of Origin	Originating Port	Destination Port	CIF value of each model (in USD)	Duty proposed to be foregone per vehicle (in INR)	(CIF value X Qty) (4 X 8) for each model (in USD)	Duty proposed to be foregone for each model (4 X 9) (in INR)

**OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached*

8. Data regarding production and Sales (to be submitted after commencement of commercial production)

Sr. No.	Name of Model	No. of vehicles manufactured (in nos.)	No. of vehicles sold (in nos.)	Average sales price per vehicle (₹)	Sales Revenue (₹)*	DVA % of the model #
(A)	(B)	(c)	(D)	(E)	(F) = (D) X (E)	

* Statutory Auditor certificate to be submitted.

attach certificates from testing agency of MHI.

9. Data regarding employment generation in India from Application Approval Date till date

Particulars	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3**	**Year 4**	**Year 5**
Regular employees					
Contractual/ outsourced employees					
Apprentices					
Total					

Annexure-VIII: Business/ Project Plan

The Applicant is required to submit Business/ Project Plan for setting up the manufacturing facilities of Eligible Product in India. The Business/ Project Plan should, *inter alia*, include the following:

1. Proposed location of manufacturing facilities to be set up in India, including whether project is new/ brownfield (expansion)
2. Details of feasibility studies / techno economic viability studies carried out, if any
3. Installed capacity of electric passenger cars to be set up in India along with tentative specifications of the cars proposed to be manufactured
4. Committed investment
5. Details of year-wise investment proposed to be made (sub-head wise)
6. Plan for obtaining various licenses, permits and regulatory and statutory approvals required for setting up the plant
7. Proposed plan for procurement of raw materials and components
8. Details of technology proposed to be utilized / developed
9. Detailed implementation schedule for setting up the plant
10. Year wise details of electric passenger cars to be manufactured along with details of capacity utilization
11. Target customer segment proposed to be catered to
12. Proposed marketing arrangements for domestic sales as well as for exports

13. Total project cost and means of finance
14. Year wise projections of revenue, profitability
15. Year wise projected balance sheet and cash flow
16. Proposed Domestic Value Addition
17. Expected employment generation in India

Annexure-IX: Quarterly Review Report (QRR) for the quarter ended……..

An Approved Applicant shall be required to provide the following information (self-certified) for quarterly review within 30 days from the end of each quarter:

1. Applicant details

Name of the Applicant	
Application No. (assigned at the time of applying under the Scheme)	
Application Approval Date	
Latest Shareholding Pattern of the Applicant	
Latest Shareholding Pattern of Group Companies, if considered for eligibility under this Scheme	
Importer Exporter Code (IEC) of the Applicant (certificate to be uploaded)	
Manufacturing location/(s) – including complete Address, City, -State, PIN code	
Installed annual capacity envisaged (in nos. of passenger cars)	
GST Registration No. (certificate to be uploaded)	
Committed Investment (amount in ₹)	

2. RBI Defaulter, SEBI Debarred, Blacklisted Status of Applicant*

Is in RBI Defaulter list	Yes/No
Is admitted for Bankruptcy/Insolvency proceedings	Yes/No
Is in Wilful Defaulter list	Yes/No
Is in SEBI Debarred list	Yes/No
Is blacklisted by Government organization / Government body / Government Authority in India or globally	Yes/No

3. Committed Investment (amount in ₹): _____

4. Investment made for manufacturing of Eligible Product from Application Approval Date till ____ (amount in ₹):

Sr. No.	**Sub-Head of Investment**	**Amount of Purchase Orders issued (in ₹)** **Copies to be enclosed**	**Amount paid (in ₹)**	**Amount capitalized** **(in ₹)**
1.	Building of main plant and utilities			
2.	Plant, Machinery and Equipment			

3.	Tools, Dies, Moulds, Jigs, Fixtures (at supplier's location)			
4.	Associated Utilities			
5.	EV Charging Infrastructure			
6.	Engineering Research & Development (In House)			
	Total			

5. Details of duty foregone and vehicles imported from Application Approval Date till ____ (end of quarter):

Cumulative Duty foregone prior to start of the quarter (in ₹)	Duty foregone during the quarter (in ₹)	Cumulative Duty foregone at the end of the quarter (in ₹)	Balance limit for duty to be foregone	Cumulative Vehicles imported upto beginning of the quarter (in nos.)	Vehicles imported in the quarter (in nos.)	Cumulative Vehicles imported by the end of the quarter (in nos.)	Cumulative Vehicles sold upto the end of the quarter (in nos.)

6A. Data regarding manufacturing and Sales (to be submitted after commencement of commercial production) of Eligible Product(s) upto the beginning of the ___ quarter

Sr. No.	Name of Model	Cumulative No. of vehicles manufactured (in nos.)	Cumulative No. of vehicles sold (in nos.)	Average sales price per vehicle (₹)	Sales Revenue (₹)	DVA % of the model
(A)	(B)	(c)	(D)	(E)	(F) = (D) X (E)	

6B. Data regarding manufacturing and Sales (to be submitted after commencement of commercial production) of Eligible Product(s) during the ___ quarter

Sr. No.	Name of Model	No. of vehicles manufactured during the quarter (in nos.)	No. of vehicles sold during the quarter (in nos.)	Average sales price per vehicle (₹)	Sales Revenue (₹)	DVA % of the model
(A)	(B)	(c)	(D)	(E)	(F) = (D) X (E)	

7. Data regarding employment generation in India from Application Approval Date till date

Particulars	**Cumulative, Upto start of the quarter**	**During the quarter**	**Cumulative, upto end of the quarter**
Regular employees			
Contractual/ outsourced employees			
Apprentices			
Total			

8A. Cumulative Imports undertaken under the Scheme upto the start of the quarter

(Details to be filled up for each model/variant)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sr.	Name of	Model/ variant	No. of	Country	Originating	Destination	Avg. CIF	Total CIF	Duty foregone

No.	OEM*	name	vehicles	of Origin	Port	Port	value of each model (in USD)	value (in USD)	for each model (in INR)

** OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached.*

8B. Imports undertaken under the Scheme during the quarter

(Details to be filled up for each model/variant)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sr. No.	Name of OEM*	Model/ variant name	No. of vehicles	Country of Origin	Originating Port	Destination Port	Avg. CIF value of each model (in USD)	Total CIF value (in USD)	Duty foregone for each model (in INR)

** OEM is to be group company only. Rationale for considering it as Group company to be attached.*

Annexure-X: Consent for audit of Manufacturing site and Import undertaken

(on the letterhead of the Applicant)

1. Whereas, the Applicant namely …… having CIN No……., PAN No. …… and registered office at …… has submitted an application under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) to Ministry of Heavy Industries (MHI), Government of India for promoting domestic manufacturing of Electric Passenger Cars and seeking benefit of lower custom duty for import of Eligible Product.
2. Now, therefore, the Applicant shall allow the PMA or the testing agency(ies) or any other authority / agency / consultant as designated by MHI for verification of manufacturing facility setup and documents submitted under the Scheme.
3. In case audit/ inspection of any supplier of the Applicant is required, the Applicant shall facilitate the same.

Signature of the authorised signatory

Date:

(Name & Designation)

Annexure-XI: Performa for Integrity Compliance to be furnished by the Applicant

(on the letterhead of the Applicant)

1. Whereas, the Applicant namely M/s ……. having CIN No. …….., PAN No. …… and registered office at …… has submitted an application under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India ('SPMEPCI') to Ministry of Heavy Industries ('MHI'), Government of India for promoting domestic manufacturing of Electric Passenger Cars and seeking benefit of lower custom duty for import of Eligible Product at ..... (location(s)).
2. Now, therefore, the Applicant including its officers / representatives commits and undertakes that they will take all measures necessary to prevent corruption. They commit to observe the following principles during their association / engagement with MHI or its agencies or its consultants engaged with the process of appraisal and verification of application for the approval of application under the Scheme.

2.1 The Applicant will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the MHI's officer(s) or consultant or agency representative (appraisal or/ and verification agency appointed by MHI to handle the application) involved in the process of dealing with application or to any third person any material or other benefit which they are not legally entitled to in order to obtain in exchange any advantage of

any kind whatsoever before or during or after the process of the application for grant of approval under the Scheme.

2.2 The Applicant will not commit any offence under the relevant IPC / PC Act; Further, the Applicant will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the MHI.

2.3 The Applicant shall disclose the name and address of the duly authorized Agents / Representatives who will be dealing with MHI or its agencies and the remuneration of these agents or representatives shall not include any hidden amount or component to get the work done in undue manner or causing inducement of whatsoever nature whether in cash or kind to influence the normal process or practice of work.

2.4 The Applicant will disclose any and all payments they have made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries, other than regular employees or officials of the Applicant, in connection with the grant of approval.

2.5 The Applicant will not offer any illicit gratification to obtain unfair advantage.

2.6 The Applicant will not collude with other parties to impair transparency and fairness.

2.7 The Applicant will not give any advantage to anyone in exchange for unprofessional behaviour.

3. The Applicant declares that no pervious transgressions occurred in the last 3 years with any other Company in any country conforming to the anti-corruption approach or with any other Public Sector Enterprises / Central or State Government or its any instrumentality in India.

4. The Applicant agrees that if it is found that the Applicant has made any incorrect statement on this subject, the application will be closed or rejected and MHI reserve the right to initiate legal action of whatsoever nature. In case the Applicant has availed duty benefit under the Scheme, the duty forgone will be recoverable along with interest calculated at 3 years SBI Marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) prevailing on the dates of availing benefits, compounded annually besides blacklisting of the Applicant and initiation of legal action of whatsoever nature at the discretion of MHI.

The contents of the above undertaking have been gone through and after understanding the same is being executed/ given on ..... day of ..... (month / year)

Signature of the Authorised Signatory

(Name & designation with address)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.06.02 23:18:57 +05'30'